रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052023-245989 CG-DL-E-22052023-245989

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 307] No. 307] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2023/ज्येष्ठ 1, 1945 NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2023/JYAISHTHA 1, 1945

# वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसुचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2023

#### आय-कर

सा.का.नि. 379(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 115 खख्ज ,धारा 194खक, धारा 200 की उपधारा (3) की और धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक से साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर ( पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2023 है।
  - (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 31क के उपनियम(4)में 1 जुलाई, 2023 से.-

(क) खंड (ix), के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

3238 GI/2023 (1)

"(ix) संदत्त या जमा की गई रकम के ब्यौरे प्रस्तुत करें, जिस पर धारा 164ढ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194ढ के चौथे परंतुक में उपबंधित छूट को ध्यान में रखते हुए या धारा 194ढ के पांचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई थी या न्यूनतम दर पर की गई थी;";

(ख) खंड (xvii) में उपखंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"कक" धारा 194खक की उपधारा (2) के निबंधनों में जीत;"।

3. मूल नियमों में, नियम 132 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"133 (1) धारा 115 खखज के प्रयोजनों के लिए पूर्व वर्ष के दौरान ऑनलाइन खेल से सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित की जाएगी, अर्थात:-

सकल जीत = (ए+डी)-(बी+सी), जहां -

ए= वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से आहरित सकल रकम;

बी = वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोक्त खाते में किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम:

सी = वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष ;

डी= वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर उपयोक्ता खाते का अंतिम अतिशेष:

(2). धारा 194खक के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथत आहरण में समाविष्ट सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित की जाएगी, अर्थात् :-

सकल जीत= ए-(बी+सी) जब -

ए = उपयोक्ता खाते से आहरित रकम

बी= वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खाते के स्वामी द्वारा उपयोक्ता खाते में ऐसे आहरण के समय तक किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम ;और

सी= वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष ।

- (3). उपनियम (2) में दिया गया सूत्र में सकल देय शून्य होगी, यदि बी और सी रकमों का योग रकम ए के समान है या उससे अधिक है।
- (4). धारा 194खक के प्रयोजनों के लिए वित्तयी वर्ष के दौरान प्रत्येक पश्चातवर्ती आहरण में समाविष्ट सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित कि जाएगी, अर्थात्:-

सकल जीत= ए-(बी+सी+ई), जहां –

ए= पश्चातवर्ती आहरण के समय तक वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से आहर्रित सकल रकम जिसके अंतर्गत ऐसे पश्चातवर्ती आहरण की रकम भी शामिल सम्मिलित है;

बी=वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खाते के स्वामी द्वारा उपयोक्ता खाते में ऐसे पश्चातवर्ती उपयोक्ता खाते में स्वामी द्वारा बनाए गए ऐसे खाते में वित्त वर्ष के दौरान ऐसी अनुवर्ती निकासी के समय तक गैर कर योग्य जमा कुल रकम, ऐसी अनुवर्ती निकासी से समय तक किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम:

सी= वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्ररंभिक अतिशेष;और

ई= पश्चातवर्ती आहरण के समय तक वित्तीय वर्ष के दौरान उपनियम(2) के अधीन या इस उपनियम के अधीन संगणित पूर्ववर्ती आहरण या आहरणों में समाविष्ट सकल जीत, यदि ऐसे आहरण या आहरणों में समाविष्ट जीत पर धारा 194खक के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई है।

- (5). उपनियम (4) में दिए गए सूत्र में सकल जीत शून्य होगी, यदि बी, सी और ई की रकमों का योग रकम ए के समान है या उससे अधिक है।
- (6). धारा 194खक के प्रयोजनों के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपयोक्ता खाते में समाविष्ट सकल जीत, निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हुए संगणित की जाएगी, अर्थात्:-

सकल जीत= (ए+डी)-(बी+सी+ई) जब –

ए= वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से आहर्रित सकल रकम ;

बी= वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे खाते के स्वामी द्वारा उपयोक्ता खाते में किए गए गैर कराधेय निक्षेप की सकल रकम; और

सी= वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर उपयोक्ता खाते का प्रारंभिक अतिशेष ;

डी= वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर उपयोक्ता खाते का अंतिम अतिशेष; और

ई= वित्तीय वर्ष के दौरान उपनियम(2) या उपनियम (4) के अधीन संगणित पूर्ववर्ती आहरण या आहरणों में समाविष्ट जीत पर धारा 194खक के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई है।

(7). उपनियम (6) में दिए गए सूत्र में सकल जीत शून्य होगी, यदि बी,सी और ई रकमों का योग रकम ए और डी के समान है या उससे अधिक है।

स्पष्टीकरण 1. इस नियम के प्रयोजनों के लिए -

- (क) "गैर-कराधेय निक्षेप" से उपयोक्ता द्वारा उसके उपयोक्ता खाते में जमा की गई रकम अभिप्रेत है और जो कराधेय नहीं है;
- (ख) "कराधेय निक्षेप" से उपयोक्ता खाते में जमा की गई कोई रकम अभिप्रेत है, जो गैर कराधेय निक्षेप नहीं है और उसमें उपयोक्ता को सीधे संदत्त की गई कोई रकम, जो उपयोक्ता खाते के माध्यम से नहीं संदत्त की गई है, सम्मिलित है;और
- (ग) "आहरण" से किसी उपयोक्ता खाते से उपयोक्ता द्वारा आहरित कोई रकम अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2:- कठिनाईयों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

- (क) उपयोक्ता खाते में, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात उपयोक्ता का प्रत्येक खाता सम्मिलित हो, जो ऑनलाइन खेल मध्यवर्ती के साथ रजिस्ट्रीकृत है और जहां कोई कराधेय निक्षेप, अकराधेय निक्षेप या उपयोक्ता द्वारा कोई जीत जमा की जाती है और उपयोक्ता द्वारा आहरित की जाती है;
- (ख) जब कभी उपयोक्ता को वस्तु या नकद रूप में या भागत: वस्तु या भागत: नकद में संदाय किया जाता है, जो उपयोक्ता खाते के रूप में नहीं है, इस नियम के उपबंध यह मानते हुए सकल जीत की संगणना में लागू होंगे कि ऐसे संदाय के समतुल्य रकम उसी समय उपयोक्ता खाते से आहरित कि गई है और तदनुसार रकम ए सिम्मिलित की जाएगी:
- (ग) जब कभी समान उपयोक्ता के बहु उपयोक्ता खाते हैं, प्रत्येक उपयोक्ता खाता सकल जीत की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए विचार में लाया जाएगा और उपयोक्ता खाते में निक्षेप, आहरण या अतिशेष से सभी, उपयोक्ता खाते में निक्षेप, आहरण या अतिशेष का सकल अभिप्रेत है;
- (घ) जब कभी समान उपयोक्ता के समान ऑनलाइन खेल मध्यवर्ती के साथ समान उपयोक्ता के बहु खाते अनुरक्षित हैं, एक उपयोक्ता खाते से अन्य उपयोक्ता खाते में अंतरण, धारा 194खख के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए यथा स्थिति आहरण या निक्षेप के रूप में नहीं समझा जाएगा;
- (ङ) जब कभी कराधेय निक्षेप बोनस, निर्देशित बोनस, प्रोत्साहन, प्रोन्नत धन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात छूट के रूप में है; और ऐसे निक्षेप का केवल ऑनलाइन खेल को खेलने के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है और आहरण और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है, ऐसे निक्षेप को सकल जीत संगणना करने के लिए छोड़ दिया जाएगा और उसे रकम बी या रकम सी या रकम डी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;
- (च) जब भी कोई बोनस, निर्देशित बोनस, प्रोत्साहन, प्रोन्नत धन, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात छूट खंड (ड.) के अधीन रकम बी या रकम सी या रकम डी के भाग के रूप में नहीं समझी जाती हैं और तत्पश्चात् उनहें पुनर्विशेषित किया जाता है और आहरण के लिए अनुज्ञात किया जाता है, तो वे ऐसे पुनर्विशेषण के समय कराधेय निक्षेप के रूप में समझे जाएंगे और यह समझा जाएगा कि उस समय उपयोक्ता खाते में समतुल्य रकम जमा की गई।

- 4. मुख्य नियम, परिशिष्ट II में-
- (क) प्ररूप 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप 1 जुलाई, 2023 से रखा जाएगा और निर्धारण वर्ष 2024-25 और पश्चतावर्ती निर्धारण वर्षों से लागू होगा, अर्थात्-

# "प्ररूप सं. 16 [नियम 31(1)(क) देखें] भाग क

धारा 192 के अधीन कर्मचारीयों को भुगतान किए गए वेतन के स्त्रोत पर कर कटौती अथवा धारा 194त के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक पेंशन या ब्याज आय के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 के अधीन प्रमाण

प्रग	गण पत्र सं.	अंतिम बार अद्यतन की गई						
नियोजक/विनिर्ा	र्देष्ट बैंक का नाम व पता	कर्मचारी/विनि	नेर्दिष्ट वरिष्ट	: नागरिक क	ा नाम व प	ता		
कटौतीकर्ता का पैन	कटौतीकर्ता का टैन	कर्मचारी/ विनिर् नागरिक का पैन	कर्मचारी / विनिर्दिष्ट वरिष्ठ सं. नियोजक द्वारा ! नागरिक का पैन उपलब्ध हो)					
सी आई टी (टीडीएस)	निर्धारण	वर्ष	निर	योजक के स	ाथ अवधि			
पता  शहर पिन कोड				से		तक		
कर्मचारी के संबंध में उनके	स्त्रोत पर भुगतान/जमा और कर क ।							
तिमाहीयों	धारा 200 की उप धारा (3) के अधीन टीडीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्या	संदत्त/ जमा की ग रकम		ती की रकम (रु.)	जमा कीए	गए /छूट दी गई कर की रकम (रु.)		
						_		
कुल (रू.)								
	ए गए और बही समायोजन के माध्य							
(कटाताकता द्वा	रा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति । बार ब्यौरा	का बाबत कटाता । । उपलब्ध कराया र		र जमा ाकए	गए कर का	। भुगतान		
क्रम सं.	111.511.0			ाक (बीआईए	<b>्</b> न)			
	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर (रु.)	24छ का प्राप्त संख्या	प्ररूप संख्या में डीडीओ संख्या	क्रम कि	रण वाउचर ो तारीख /मम/वववव	क साथ मिलान की प्रास्थिति		

_
$\overline{}$
,

कुल(रू.	)													
0		<u> </u>	> > >			~			<u> </u>	- 2 - 0 - 6				
			ालान के माध्यम से केर्न्द्र र करौनी किए गए और उ						,		द्वारा कटाता किए			
	ग व्याक्त का <b>म सं</b> .	व।वत	। कटाता किए गए आर ५	जमा किए गए कर का भुगतान वार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए) चालान पहचान सं. (सी आई एन)										
	a	ज्टौती वि	केए जाने व्यक्ति के बाबत											
		जम	ा किया गया कर (रु.)											
						_								
				<del>*-</del> 0	ाखा का						ओएलटीएएस के साथ मिलान की			
					ाखा का आर कोड				=	ालान क्रम सं.	प्रास्थिति			
						वह ता	रीख जिसक	ने कर जम	г					
						किया ग	या (दिदि/ग	मम/वववव	.)					
											<u> </u>			
<u></u> कुल	(₹.)													
<i>₹</i> :			पुत्र/	-	सत्यापन		<del>\                                 </del>	<u> </u>	<del></del>		÷ — —			
			रुपए [केवल											
सही और	ठीक है ।	स्थान		$\perp$										
	त	ारीख :		(कर क	टौती के लिए	उत्तरदाय	ो व्यक्ति के ह	इस्ताक्षर)						
पदनाम:				पूरा न	ाम :									
										[भा	ग ख (उपाबंध-I)]			
	- > 0		****	· · · · ·	~									
धारा 19	02 क अधान	कर क	टौती के लिए कर्मचारिय		ाम न्य आय तथ		<del>- 3-0-2-</del> -	<del>- 42-</del>						
<b>क</b> र	क्या धारा ११५	खकग(1	सदत्त वतः क) के अधीन कराधान का विव			।। कर व	न्टाता क ब	ष्यार [हां/नही	ii					
প ি	141 91(1 113	94771(1	1) 1 July 12 141	v 1 3.11 11	11 6:			[60.161	1					
1. ;	सकल वेतन													
(ক)	धारा 17(1) में	अंतर्विष	ट उपबंधों के अनुसार वेतन					₹						
ម	ारा 17(2) के <u>३</u>	मधीन प	रिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं.											
	2खक के अनुसा		•,					₹						
(ग)	धारा 17(3) के	अधीन व	वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं.	12खक जब	iभीलाग झो	,		₹						
I.	17 (0) 41	-13111	***	. <u> </u>		′		I		I				

(ঘ)	कुल			₹	
(ड.)	रिपोर्ट की गई अन्य नियोजक(नियोजकों) से प्राप्त वेतन की कुल रकम		₹		
2.	घटाएं: धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते;	1	1		
(क)	धारा 10(5) के अधीन यात्रा रियायत अथवा सहायता		₹		
(ख)	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु सह-सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी		₹		
(ग)	धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का रूपांतरित मूल्य		₹		
(ঘ)	धारा 10(10कक) के अधीन अवकाश वेतन नकदीकरण के समतुल्य नकद		₹		
(ड)	धारा 10(13क) के अधीन गृह किराया भत्ता		₹		
(च)	धारा 10(14) के अधीन अन्य विशेष भत्ते		₹		
(ন্ত্ৰ)	धारा 10 के अधीन कोई अन्य छूट की रकम				
	 खड	₹			
	 खड	₹			
	खंड	₹			
	खंड	₹			
	 खड	₹			
		₹			
(ज)	धारा 10 के अधीन कोई अन्य छूट की कुल रकम		₹		
(झ)	धारा 10 के अधीन दावा की गई छूट की रकम			表	
, ,	[2(क)+2(ख)+2(ग)+2(घ)+2(ड)+2(च)+2(ज)]				
3.	वर्तमान नियोजक से प्राप्त वेतन की कुल रकम			₹	
	[1(闰)-2(薪)]				
4.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौतियां				
(क)	धारा 16(झक) के अधीन मानक कटौती		₹		
(ख)	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		₹		
(ग)	धारा 16(iii) के अधीन रोजगार पर कर		₹		
5.	धारा 16 के अधीन कटौतियों की कुल रकम			表	
	[4(क)+4(ख)+4(ग)]				
6.	"वेतन शीर्ष " के अधीन प्रभार्य आय  [(3+1(ड.)-5]			表	
7.	जोड़ें: धारा 192(2ख) के अधीन कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई कोई अन्य आय			<u>.</u>	
(क)	टीडीएस के लिए प्रस्तावित कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या अनज्ञय हानि)		₹		
(ख)	टीडीएस के लिए प्रस्तावित अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय		₹		
8.	कर्मचारी द्वारा सूचित अन्य आय की कुल रकम [7(क)+7(ख)]			₹	
9.	सकल कुल आय (6+8)			₹	
10.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती		•	•	
			सकल रकम	कटौती योग्य रकम	$\dashv$
•				1	

1				
(क)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा, प्रीमियम के संबंध मे कटौती,भविष्य निधि आदि में योगदान		表	₹
(평)	धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेशन निधि अंशदान के संबंध में कटौती		灰	₹
(ग)	धारा 80गगघ (1)के अधीन पेंशन योजना के लिए करदाता द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		₹	₹
(ঘ)	धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ(1) के अधीन कुल कटौती		₹	忘
(इ)	धारा 80गगघ(1ख)के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना संदत्त/जमा की गई रकम के संबंध में कटौती		रू	₹
(च)	धारा 80गगघ (2) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में नियोजक द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		₹	₹
(ন্ত)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		₹	₹
(ज)	धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		₹	₹
(朝)	धारा 80गगज के अधीन अग्निपथ स्कीम में कर्मचारी द्वारा अंशदान के संबंध में कटौती		表	₹
(অ)	धारा 80गगज के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम में अंशदान के संबंध में कटौती		表	表
( '/		सकल रकम	अहर्त रकम	योग्यता रकम
(ट)	धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, पूर्त संस्थाओं में संदान के संबंध में कुल कटौतियां	₹	₹	₹
(হ)		表	₹	忘
(इ)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध (ओं) के अधीन कटौती योग्य रकम			
	धारा	₹	₹	枣
	धारा	表	表	₹
	धारा	₹	₹	₹
	धारा	表	₹	表
	धारा	₹	袠	₹

		1	ı	
	धारा	रू	₹	₹
		₹	₹	₹
(ঙ)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं)के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	₹	₹	₹
11.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का समग्र [10(घ)+10(ड.)+10(च)+10(छ)+10(ज)+ 10(झ)+10(ञ) +10(ट) +10(ट) +10(ढ)]			₹
12.	कुल कराधेय आय (9-11)			₹
13.	कुल आय पर कर			₹
14.	धारा 87 के अधीन छूट(यदि लागू हो)			₹
15.	अधिभार, यदि लागू हो			₹
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा कर @ 4%			₹
17.	देय कर (13+15+16-14)			₹
18.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)			₹
19.	शुद्ध देय कर (17-18)			₹

## सत्यापन

मैं,पुत्र/पुत्रीजो (पदनाम)की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूं	;, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकार्र
सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा बहियों दस्तावेजों, स्रोत पर कर की कटौती के विवरए	गों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है ।
स्थान	(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)
तारीख	पूरा नाम

## उपाबंध II

## धारा 194त के अधीन निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में कर कटौती

क	क्या धारा 115खकग(1क) के अलावा कराधान का विकल्प चुन रहे हैं?		[हां/नहीं]	
1.	सकल वेतन			
(ক)	धारा 17(1) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पेंशन		₹	
2.	प्राप्त वेतन की कुल रकम			₹
3.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौतियां			
(क)	धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती		₹	
(ख)	धारा 16(iii) के अधीन नियोजन पर कर		₹	
4.	धारा 16 [3(क)+3(ख)]के अधीन कटौतियों की कुल रकम			₹
5.	वेतन शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(2-4]			₹
6.	निर्दिष्ट बैंक द्वारा भुगतान किए गए "अन्य स्त्रोतों" शीर्ष के अधीन ब्याज आय		₹	
7.	सकल समग्र आय (5+6)			₹
8.	अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां			
			सकल रकम	कटौती योग्य रकम
(ক)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा, प्रीमियम के संबंध मे कटौती,भविष्य निधि आदि में योगदान		₹	₹
(ख)	धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेशन निधि अंशदान के संबंध में कटौती		袠	₹
(ग)	धारा 80गगघ(1) के अधीन आयकर दाता द्वारा पेंशन योजना के अंशदान के संबंध में कटौती		₹	₹
(ঘ)	धारा 80ग, 80गगग और धारा 80गगघ(1) के अधीन कुल कटौती		₹	₹
(ঙ্ভ)	धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में जमा/भुगतान की गई रकम के संबंध में कटौती		表	表
(च)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती		表	表
(ন্ত্ৰ)	धारा 80ड. के अधीन उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती		表	₹
		सकल रकम	योग्यता रकम	कटौती योग्य रकम
(ज)	धारा 80छ अधीन कतिपय निधि, धर्मार्थ संस्थाओं में संदान के संबंध में कुल कटौतियां	表	表	रकम रू
(झ)	धारा 80ननक के अधीन बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती	表	表	表
(স)	अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंधों के अधीन कटौती योग्य रकम			<u> </u>
. ,	धारा	袠	₹	表
	धारा	表	表	表
	धारा	表	₹	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	धारा	表	表	表
	धारा	表	表	₹
	धारा	袠	表	表
		表	表	表
(ट)	ాः अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं)के अधीन कटौती योग्य कुल रकम	₹	₹	₹
9.	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का समग्र			<b>表</b>
	[10(घ)+10(ड)+10(च)+10(छ)+10(ज)+ 10(झ)+10(ट)]			
10.	कुल कराधेय आय(7-9)			₹
11.	कुल आय पर कर			₹
12.	धारा 87क के अधीन छूट(यदि लागू हो )			₹
13.	अधिभार, यदि लागू हो			₹
14.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर			₹
15.	देय कर (11+13+14-12)			₹
				_
16.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)			₹

	सत्यापन						
मैं,पुत्र/पुत्रीजो (पदनाम)की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है							
तथा यह लेखा बहियों ,दस्तावेजों, स्रोत पर कर की कटौती के वि	तथा यह लेखा बहियों ,दस्तावेजों, स्रोत पर कर की कटौती के विवरणों, टीडीएस जमा और अन्य उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित है						
स्थान	(कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)						
तारीख	पूरा नाम:						

#### टिप्पण :

- 1. सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद1 में जानकारी भरें यदि कर को आय कर चालान के पेश किए बिना संदत्त किया जाता है और यदि कर को आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- 2. गैर सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- 3. कटौतीकर्ता, आय कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरणों के विषय में है ।
- 4. यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती केवल एक नियोजन के अधीन नियोजित है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्रमाणपत्र, प्ररुप सं. 16 में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए जमा और कर कटौती का विवरण होगा।
- (i) यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक, उस अविध से संबंधित प्ररुप सं.
   16 में प्रमाणपत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था।
  - (ii) निर्धारिती के विकल्प पर प्ररुप सं. 16 प्रमाणपत्र का भाग ख (उपाबंध-I) प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा I
  - (iii) प्ररूप सं. 16 में प्रमाण पत्र का भाग ख (उपाबंध-II) निर्दिष्ट बैंक द्वारा निर्दिष्ट वरिष्ठ नागरिक को जारी किया जाएगा
- 6. भाग क के मद 1 और मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किए गए कर के लिए स्तंभ में कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल रकम उल्लिखित करें।
- 7. कटौतीकर्ता भाग ख (उपाबंध-I) को कर्मचारी को देने से पहले मद संख्या 2(च) ओर 10(ट) में ब्यौरे, जहां कहीं उपलब्ध हो, सम्यक रुप से भरेगा ।";

- (ख) प्ररूप 24थ में 1 जुलाई 2023 से प्रवृत्त :-
- (i) सारणी के क्रम सं. 4, स्तंभ सं. 4 में "शिक्षा कर" शब्दों के स्थान पर "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" शब्दों को रखा जाएगा;
- (ii) सारणी के उपाबंध I में, "सत्यापन" से पहले, स्तंभ्स 11 में, शब्द "शिक्षा उपकर", के स्थान पर, "स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" शब्दों को रखा जाएगा;
- (iii) "उपाबंध II", के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध को रखा जाएगा, अर्थात्:—

	"उपाबंध"											
	वित्तीय वर्षके दौरान संदत्त या जमा किए गए वेतन और शुद्ध संदेय कर के ब्यौरे(धारा 192 के अधीन )											
क्रम संख्यांक.	कर्मचारी का स्थायी खाता संख्यांक.	कर्मचारी का नाम	क्या धारा 115खकग के अतिरिक्त कराधान का विकल्प चुना है? [हां/नहीं]	कटौती किए गए व्यक्ति के प्रकार (ज्येष्ठ नागरिक, अति ज्येष्ठ नागरिक, अन्य)	तारीख से तारीख तक जिससे चालू वित्तीय वर्ष में वर्तमान नियोजक के साथ नियोजित है (दिन/मास/वर्ष)	(क) धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपवंधों के अनुसार सकल वेतन .	(ख) धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार, जहां भी लागू हो)	(ग) धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में प्ररूप सं. 12खक के अनुसार, जहां भी लागू हो).	वर्तमान नियोजक से प्राप्त सकल वेतन की कुल रकम (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण 1 देखें)			
(330)	(331)	(332क)	(332ख)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)			

अन्य नियोजक (ओं) से प्राप्त वेतन की कुल रकम सूचित (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पणी 1 देखें)	धारा 10(5) के अधीन यात्रा रियायत अथवा सहायता	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु सह- सेवानिवृत्ति उपदान	धारा 10(10क) के अधीन संराशित पेंशन मूल्य	धारा 10(10कक) के अधीन छुट्टी वेतन भुनाने के समतुल्य नकद	धारा 10(13क) के अधीन मकान किराया भत्ता	भूस्वामी का पैन यदि छूट का दावा धारा 10(13क) के अधीन किया गया है (टिप्पणी 3 देखें).	धारा 10(14) के अधीन अन्य विशेष भत्ते	धारा 10 के अधीन कोई अन्य छूट की रकम	धारा 10(340+341+342+343+344+346क+346ख) के अधीन छूट के दावों की रकम	धारा 16(iक) के अधीन कुल कटौती
(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346क)	(346ख)	(347)	(348)

धारा 16(ii) के अधीन कुल कटौती	धारा 16(iii) के अधीन कुल कटौती	"वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [338+339- (347+348+ 349+350)].	धारा 192(2ख) के अनुसार टीडीएस के लिए प्रस्तावित कर्मचारी द्वारा सूचित मकान की संपत्ति से (स्वीकार्य हानि) आय	ऋणदाता का पैन यदि , धारा 24(ख) के कर्मचारी आवासीय ऋण पर ब्याज का दावा किया है।	धारा 192(2ख) के अनुसार अन्य स्त्रोतों से आय शीर्ष पर टीडीएस प्रस्तावित है।	सकल कुल आय (351+352+ 354).	जीवन बीमा भविष्य निधि			धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधि में अंशदान के संबंध में कटौती		य (1) के अधीन ा अधिसूचित में अंशदान के ती
				(टिप्पण 4 देखें ).			सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम	सकल रकम	कटौती योग्य रकम
(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)

धारा 80 (1ख) के अधिसूचि पेंशन यो जमा/भुग गई रकम संबंध में	अधीन वत जना में ातान की । के	धारा 80गगघ (2) अधीन अधिसूचित पेंशन योजना में अंशदान के संबंध कटौती	- अध सर में आ अंध	रा 80गगज के ग्रीन केंद्रीय कार द्वारा ग्रेपथ योजना ग्रें गदान के संबंध गैती	अधीन सरका में अग्निप	80गगज के व्हेंद्रीय र द्वारा थयोजना में विके संबंध में	स्वास्थ्य	थ्य बीमा अधीन उच्च शिक्षा निधि, धर्मार्थ संस्थाओं में में जमा पर ब्या यम के संबंध में हेतु लिए ऋण पर संदान के संबंध में कुल		में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती		अध्याय VI-क के किसी अन्य उपबंध(ओं)के अधीन कटौती योग्य रकम		कटौती	अध्याय VI-क के अधीन कटौती योग्य रकम का कुल [357+359+361(रू.1,50,000 तक) +363 +364ख +365ख +366ख+ 367ख +369 +372 +375 +378].						
सकल	कटौती	सकल रकम	कटौती	सकल	कटौती	सकल	कटौती	सकल रकम	कटौती	सकल रक		सकल रकम	अर्हक	सकल	कटौती योग्य रकम	अर्हक	कटौती	सकल रकम	अर्हक	कटौती	
रकम	योग्य		योग्य	रकम	योग्य	रकम	योग्य		योग्य		योग्य		योग्य	रकम		रकम	योग्य		रकम	योग्य	
	रकम		रकम		रकम		रकम		रकम		रकम		रकम				रकम			रकम	
(362)	(363)	(364क)	(364ख)	(365क)	(365ख)	(366क)	(366ख)	(367क)	(367ख)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)

कुल कराधेय आय (355-379).	कुल आय पर आयकर	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो	अधिभार जहां कहीं लागू हो	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जहां वेतन आदि बकाया या अग्रिम के रूप में संदत्त किया जाता है	कुल कर दायित्व [381+383+384- (382+385)].	सम्पूर्ण वर्ष के लिए वर्तमान नियोजक द्वारा स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम [प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में सभी तिमाहियों के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग]	अन्य नियोजक (कों) या कटौतीकर्ता (ओं) द्वारा स्रोत पर कर कटौती की रिपोर्ट की गई रकम (स्तंभ 339 में कुल कराधेय आय की संगणना में, जिसके संबंध में आय)	सम्पूर्ण वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती की कुल रकम (387+388).	कर कटौती में कमी (+) या आधिक्य कर कटौती (-) (386-389).
(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)

### टिप्पण:

1. वेतन के अन्तर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपदान (धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न), फीस, कमीशन, बोनस, अितरिक्त उपलब्धियां (अिनवार्य निक्षेप) अिधिनियम, 1974 (1974 का 37) के अधीन जमा रकम का पुनः संदाय, परिलब्धियां, किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अितरिक्त लाभ जिसके अन्तर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में किए गए संदाय भी हैं, वेतन का अग्रिम, उपयोग नहीं की गई किसी अविध की छूट्टी के संबंध में प्राप्त कोई संदाय (धारा 10 (10कक) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न, आयकर अिधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसार कर से प्रभार्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में खाते के बकाया में कोई वार्षिक अभिवृद्धि, आयकर अिधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (4) के अनुसार कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय समझी गई कोई राशियां, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या 'वेतन' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य कोई अन्य राशियां शामिल है।

2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त उपलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को उस कर्मचारी के कोई अभिदाय उसके निमित्त संदत्त करता है, ऐसी सभी कटौतियां या संदाय विवरण में सम्मिलित होंगे।

- 3. भू-स्वामी का स्थायी लेखा संख्याक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान संदत्त कुल किराया एक लाख रुपए से अधिक है ।
- 4. उधार देने वाले का स्थायी लेखा संख्यांक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां गृह ऋण, जिसपर ब्याज संदत्त किया जाता है, वित्तीय संस्था या नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति से लिया जाता है।
- (iv) उपाबंध III, पहली सारणी के पांचवें स्तंभ में "क्या धारा 115खकग के अधीन कराधान का विकल्प चुना है" [हां/नहीं]", शब्दों के स्थान पर "क्या धारा 115खकग (1क) के अधीन कराधान के अलावा विकल्प चुना है [हां/नहीं]" शब्द रखे जाएंगें;
- (ग) 1 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त , प्ररूप 26थ में,—
- (i) "[192क, 193, 194, 194क, 194ख, 194ख, 194ख, 194घ, 194घक, 194घक, 194उ. इ., 194च, 194छ, 194ज, 194झ, 194ठ, 194ठ, 194ठक, 194ठक, 194ठक, 194ठक, 194ठक, 194घ, 19
- (ii) उपाबंध के लिए निम्नलिखित उपाबंध को प्रतिस्थापित किया जाएगा

" उपाबंध:- कटौती/टीडीएस का पाने वाले के अनुसार विघटन "

## (कृपया मुख्य फॉर्म 26थ के क्रम सं. 0 सारणी की प्रत्येक लाइन-मद के लिए पृथक उपाबंध का प्रयोग करें)

तारीख………. (दिदि /मम/वववव) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान संदत्त रकम /जमा की गई रकम और स्त्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप सं. 24 छ की प्राप्ति संख्या	
चालान जमा करने की तारीख/अंतरण वाउचर तारीख (दिन/मास/वर्ष )	
चालान क्रम सं. /प्ररूप 24छ डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार रकम	
उर्ध्वाधर रूप में स्तंभ 421 में आवंटतीय कुल कर	
कटौतीकारों/पाने वालों के बीच आवंटतीय कुल ब्याज	

संदायकर्ता का नाम	
टैन	

<b>家</b> · 祇	संदायकर्ता द्वारा प्रदान की गई कटौतीदार/पा ने वाले की संदर्भ सं. ,यदि उपलब्ध हो	कटौतीदार/पाने वाले का कोड (01- कंपनी 02¬- कंपनी से भिन्न)	कटौतीदार/पाने वाले <i>का पैन</i>	कटौतीदार/पाने वाले <i>का नाम</i>	धारा कोड (टिप्पण देखें 16)	संदाय या जमा करने की तारीख (दि/म/व))	संदत्त जमा की गई रकम	धारा 194ढ़ में यथानिर्दि ष्ट एक रूपए के अधिक्य में निकाली गई रकम (धारा 194ढ़ के पहले परंतुक या तीसारे में निहीं होने की दशा	निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ. के पहले परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (क) द्वारा समाविष्ट मामलों में 20 लाख रू. से अधिक लेकिन 1 करोड़ रू. से अधिक नहीं है (सहकारी सोसाइटियों के सिवाय)	निकाली गई नकद रकम जो धारा 194इ. के पहले परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (क) द्वारा समाविष्ट मामलों के लिए 1 करोड़ रू. से अधिक है (सहकारी सोसाइटियों	निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ढ. के तीसरे परंतुक द्वारा समाविष्ट सहकारी सोसाइटियों के मामले में 3 करोड़ रू, से अधिक है(धारा 194ढ के पहले परंतुक द्वारा समाविष्ट नहीं होने की दशा में	निकाली गई नकद रकम जो धारा 194इ. के तीसरे परंतुक के साथ पठित पहले परंतुक के खंड (गे) के उपखंड (क) द्वारा समाविष्ट सामलों के लिए 20 लाख रू. से अधिक नहीं (सहकारी सोसाइटियों की दशा में)	निकाली गई नकद रकम जो धारा 194ह. के तीसरे परंतुक के खंड (बा) द्वारा समाविष्ट मामलों के लिए 3 करोड़ रू. से अधिक है (सहकारी सोसाइटियों की दशा में)	काटा गया कुल कर	जमा किया ग्वा कुल कर	कटौती की तारीख (दि/मा/वर्)	बह दर जिस पर कटौती की गई है	कटौती न करने/निम्न कटौती करने /उच्च कटौती करने /श्रेसहोल्ड /परिवाहक आदि के कारण( टिप्पण 11 देखें)	धारा 197 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/न्यूनतम कटौती करने के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र की संख्या
[412 ]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419 <i>雨</i> ]	[419 <i>ख</i> ]	[419 <i>ग</i> ]	[419 <i>घ</i> ]	[419 <i>ਵ</i> ]	[419뤽]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
1																			
2																			
3																			
कुल																			

यदि धारा के	डि 94ख-त का	चयन किया है ,	तो प्रदान करें	यदि धारा कोड 94द-त का चयन किया है , तो प्रदान करें				यदि धारा को	ड 94ध-त का च	वयन किया है , त	ो प्रदान करें	यदि धारा कोड 94खक-त का चयन किया है , तो प्रदान करें			
जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या
[42 <del>6</del> क]	[426ख]	[426ग]	[426घ]	[427क]	[427ख]	[427ग]	[427घ]	[42 <del>8</del> क]	[428ख]	[428ग]	[428घ]	[429क]	[429ख]	[429ग]	[429घ]

स	त्य	гч	न

में,	सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टिशं सही और पूर्ण है।
स्थान	स्त्रोत कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का हस्ताक्षर
तारीख	स्त्रोत पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदन

#### टिप्पण :-

- 1. "क" लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के मद्दे "न्यूनतम कटौती की गई है" या "कटौती नहीं की गई है" ।
- 2. "ख" लिखें, यदि धारा 197क की उपधारा (1च) में उल्लिखित मामलों से भिन्न धारा 197 क के अधीन घोषणा के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
- 3. "ग" लिखें यदि पैन नं. प्रस्तुत करने के मद्दे धारा 206कक के अधीन उच्चतर दर पर कटौती की गई है।
- 4. "घ" लिखें, यदि धारा 194क की उपधारा (5) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
- 5. "ड." लिखें ,यदि 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 3, तारीख 28जून, 2002 या 2002 के बोर्ड परिपत्र सं. 11 तारीख 22 नवंबर, 2002 या 2017 के बोर्ड परिपत्र सं. 18 तारीख 29 मई,2017 में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है।
- 6. "म" लिखें ,यदि यदि आय-कर अधिनियम 1961 में विनिर्दिष्ट थ्रेसहोल्ड सीमा से नीचे संदाय के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है। ।
- 7. "न" लिखें ,यदि परिवाहक होने पर कटौतीकर्ता/पाने वाले के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है । कटौतीकर्ता/पाने वाले का पैन आवश्यक है (धारा 194 ग(6) )
- 8. "य" लिखें ,यदि धारा 197क(1च) के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।
- 9. "ड" लिखें ,यदि धारा 194ढ़ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के मद्दे के मद्दे कोई कटौती नहीं की गई है या कम कटौती की गई है।\*
- 10. "ढ" लिखें ,यदि धारा 194ढ. के चौथे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए संदाय के मद्दे या धारा 194ढ के पांचवें परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कर की कटौती नहीं की गई है या न्यूनतम दर पर कर की कटौती की गई है।\*

- 11. "ण" लिखें ,यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) के उपबंधों के अनुसार कटौती नहीं की गई है।
- 12. धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड(ड) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या धारा 194 के दूसरे परंतुक के खंड (घ) में निर्दिष्ट कारबार न्यास को दिए गए लाभांश के संदाय के कारण यदि कोई कटौती नहीं हुई है तो 'त' लिखें।
- 13. धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (x) में निर्दिष्ट किसी ईकाई को किए गए संदाय को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कटौती नहीं हुई है तो 'थ' लिखें।
- 14. धारा 194कख की उपधारा (5) के उपबंधो को ध्यान में रखते हुए यद कोई कटौती नहीं है तो 'ध' लिखें।
- 15. धारा 206कख को ध्यान में रखते हुए आय की विवरणी दाखिल न करने के कारण यदि कटौती उच्च दर पर होती है तो 'न' लिखें
- 16. यदि धारा कोड की सूची निम्न प्रकार है:-

धारा	भुगतान की प्रकृति	धारा कोड
192क	कर्मचारी को देय संचित अतिशेष का संदाय	192क
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज	193
194	लाभांश	194
194क	प्रतिभूतियों पर ब्याज के अतिरिक्त ब्याज	194क
194ख	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली आदि से जीत	194ख
धारा <i>194</i> ख के परंतुक	लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली आदि से जीत जहां कर दायित्व को चुकाने के लिए वस्तु या नकद के रूप में दिया गया प्रतिफल पर्याप्त नहीं है तथा ऐसी जीत से पूर्व संदत्त कर निमोचित हो चुका है	<i>94</i> ख <i>-</i> त
<i>194</i> खक	ऑनलाइन खेलों से जीत	<i>94</i> खक
धारा <i>194</i> खक की उपधारा (2)	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में कर दायित्व चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व संदत्त कर निमोचित हो चुका है	<i>94</i> खक <i>-</i> त
194खख	घुडदौड़ से जीत	194खख
194ग	ठेकेदारों व उप ठेकेदारों का संदाय	194ग
194घ	बीमा आयोग	194घ
194घक	जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में संदाय	194ঘক
194इ.इ.	राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन जमा रकम के संबंध में ⊟संदाय	194ड.ड.
194च	म्यूचल फंड या यूटीआई द्वारा ईकाइयों के पुन:विक्रय के कारण संदाय	194च
194छ	लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन, इनाम आदि	194छ
194ज	दलाली या ब्रोकरेज पर कमीशन	194ज
194झ(क)	किराया	194झ(क)
194झ(ख)	किराया	194झ(ख)
194ञ(ক)	सिनेमेट्रोग्राफी फिल्मों और कॉल सेंटर के प्रदर्शन या वितरण तथा विक्रय के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क(वृत्तिक सेवा नहीं) के लिए रॉयल्टी @2%	194ञ(क)

194ञ(ख)	वृत्तिक सेवा या रॉयल्टी आदि के लिए शुल्क @10%	194অ(ख)
194ਟ	इकाईयों के संबंध में आय	194ਟ
194ठक	कतिपय स्थावर संपत्तियों के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय	194ठक
194ठखक(क)	कारबार न्यास को इकाई से निवासी इकाई धारक को ब्याज रूप में कतिपय आय	194ठखक(क)
194ठखक(ख)	कारबार न्यास की इकाईयों से निवासी इकाई धारक को लाभांश रूप में कतिपय आय	194ठखक(ख)
194ठख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय	194ठख
1194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	1194ठखग
194ढ़	नकद में कतिपय रकम का संदाय प्रथम परंतुक या तीसरे परंतुक द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न	194ढ़
<i>194</i> ढ़ प्रथम परंतुक	गैर फाइलरों के नकद में कतिपय रकम का संदाय सहकारी  समितियों के मामलों के भिन्न	<i>94</i> ढ-च
<i>194</i> ढ़ तीसरा परंतुक	प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छादित सहकारी समितियों को नकद में कतिपय राशि का संदाय	<i>94</i> ह-ग
<i>194</i> ढ़ प्रथम परंतुक तीसरे परंतुक के साथ पठित	सहकारी समितियां होने के नाते गैर-फाइलर्स को कतिपय रकम का संदाय	<i>94</i> ढ-चन
<i>194</i> ण	ई कामर्स प्रतिभागी को ई कामर्स ऑपरेटर द्वारा कतिपय रकम का संदाय	194ण
194य	माल की खरीद के लिए कतिपय रकम का संदाय	194थ
194द	कारबार या वृत्ति से फायदा व अभिलाभ	194द
धारा 194द की उपधारा (1) का प्रथम परंतुक	कारबार या वृत्ति से फायदा व अभिलाभ जब ऐसे फायदा व अभिलाभ वस्तु या कुछ भाग नकद में प्रदान किए जाते हैं और कर दायित्व के लिए पर्याप्त नहीं है तथा अपेक्षित कर कटौती का संदाय ऐसे फायदे के निर्मोचन से पूर्व हो चुका है	<i>94</i> द-च
<i>194</i> ध	विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा आभासी डिजिटल आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल का संदाय	<i>194</i> ঘ
धारा194ध की उपधारा(1) का प्रथम परंतुक	आभासी डिजिटल आस्ति के अंतरण हेतु संदाय जहां संदाय वस्तु के रूप में या अन्य आभासी डिजिटल आस्ति के विनिमय में हो तथा अपेक्षित कर कटौती का ऐसा संदाय निर्मोचन होने से पूर्व हो चुका है	<i>94</i> ध <i>-</i> त <i>";</i>

- (घ) प्ररूप सं. 27थ में 1 जुलाई , 2023 से प्रवृत्त , -
- (i) "[धारा 194ड. , 194ठख, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ठग, 194ढ़, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 194क, 206कक, 206कख तथा नियम 31क देखें ", कोष्टकों,शब्दों,अंकों तथा अक्षरों के स्थान पर निम्नलिखित कोष्टकों, शब्दों, अंकों तथा अक्षरों को रखा जाएगा अर्थात::-
- "धारा 194ख, 194खक, 194खख, 194ड. , 194ठख, 194ठखक, 194ठखख, 1194ठखग, 194ठग, 194ढ़, 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ, 194क, 206कक, 206कख तथा नियम 31क देखें"
- (ii) सारणी के क्रम सं. 4, के स्तंभ सं. 4 में " शिक्षा कर" शब्दों के स्थान पर " स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर " शब्दों को रखा जाएगा;
- (ii) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध रखा जाएगा, अर्थात्:—

#### "उपाबंध: स्त्रोत पर कर कटौती का कटौतीकर्ता वार ब्यौरा

( कृपया मुख्य प्ररूप 27थ के क्रम सं. 4 की सारणी की प्रत्येक पंक्ति/मद के लिए पृथक उपाबंध का उपयोग करें) समाप्त तिमाही (तारीख /माह/वर्ष) के दौरान संदत्त/प्रत्यय राशि और स्त्रोत पर कर कटौती का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप <i>24</i> छ की रसीद संख्या	
जिस तिथि को चालन जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख (दि/म/व)	
फॉर्म सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार रकम	
डिडक्टीयों के बीच किया जाने वाला आबंटित कुल टीडीएस जाने वाला जैसा कि , स्तंभ <i>726</i> के लंबवत कुल में दिया गया	
है।	
नीचे वर्णित डिडक्टियों के बीच कुल ब्याज का आबंटन	

٠,	511111111111111111111111111111111111111									
	संदायकर्ता का नाम									
	टैन									

कं स	डिडक्टी का संदर्भ सं. कटौती कर्ता द्वारा दिया गया यदि उपलब्ध हो	देखें <i>)</i>	डिडक्टी का पैन आधार संख्या <b>/टिप्पणी</b> 12 <b>देखें</b> ]		धारा कोड (देखें टिप्पणी 13)	क्या डिडक्टी ने धारा 115खकग(1क) के अधीन कराधान का विकल्प चुना है)? (हां /महीं)	संदाय या जमा की तिथि (दि/म/व)	धारा 19-क्रमें निर्दिष्ट एक करोड रूपए से अधिक नकद निकासी की रकम पर्रधारा 19-क्रमें परंतुक एवं तीसदे परंतुक द्वारा आच्छादित न होने वाले मामलों में)	के प्रथम परंतुक के उप खंड (क) के अंतर्गत मामलों में 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ नकद से कम रकम की निकासी (सहकारी सोसाइटियों के	उपखंड (ख) के अंतर्गत मामलों में 1 करोड़ रूपए से अधिक नकद रकम की निकासी( <i>सहकारी</i> सोसाइटियों के सिवाय)	मामल में 3 करोड़ रू. से अधिक नकद रकम की निकासी (धारा 194ण के प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छादित मामलो में	धारा 194ण के तीसरे परंतुक के साथ पठित प्रथम परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (क) के द्वारा आच्छादित मामले में 20 लाख रू. से अविधक परंतु 3 करोड़ रू. से अनाधिक नकद रकम की निकासी	उपखंड (ख) द्वारा आच्छादित मामले में 3 करोड़ रू. से अधिक नकद रकम की निकासी (सहकारी सोसाइटियों के मामले में)		<b>कर</b>		S	कटौती [722+ 723 + 724]	कुल जमा कर
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[71 <b>9</b> 年]	<i>[719</i> ब]	[720]	<i>[720</i> कु]	<i>[720</i> ख]	<i>[720</i> π]	[720 <b>घ</b> ]	<i>[720</i> इ]	<i>[720</i> च]	[721]	[722]	[723]	[724]	[725]	[726]
1																			
2																			
3																			
कुल																		•	

कटौती की तारीख	जिस दर पर कटौती की गई	कटौती कम न करने/ग्रेसिंग अप/ /उच्च कटौती (टिप्पण 1 सं. 1 देखें)	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/ कम कटौती के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या टीडीएस की दर आयकर अधिनियम(क) डीटीएए(ख) के अनुसार है	धन प्रेषण की प्रकृति	सत्स्थानी प्ररूप सं. 15गक की अद्वितीय पावती यदि कोई हो	जिस देश में धन प्रेषण किया गया है	डिडक्टी की ई मेल आई डी	डिडक्टी का संपर्क नंबर	डिडक्टी का पता जिस देश का निवासी हो	डिडक्टी का टिन नंबर/यू आई एन
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]
1											
2											
3											
कुल											

यदि धारा क	ोड 94ख-त का च	वयन किया है ,	तो प्रदान करें	यदि धारा कोड 94खक-त का चयन किया है , तो प्रदान करें					
जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या	जमा कर की रकम	बैंक का बीएसआर कोड	संदाय की तारीख	चालान क्रम संख्या		
[739]	[740]	[741]	[742]	[743]	[744]	[745]	[746]		

	सत्यापन
मैंस्पष्ट करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तु	त विवरण सही व पूर्ण है।
स्थान	स्त्रोत कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर
तारीख	कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद
टिप्पणी :-	

1. धारा 197 के अधीन प्रमाण पत्र के कारण यदि "कम कटौती" या "कोई कटौती नहीं" तो "क" लिखें

- 2. यदि जोड़ किया गया है तो 'ग' लिखें
- 3. यदि स्थायी खाता संख्या या आधार प्रस्तृत न करने का कारण या आधार से साथ स्थायी लेखा खाता को लिंक न कराने के कारण धारा 206कक के अधीन कटौती उच्च दर पर हो तो 'घ' लिखें।
- 4. यदि धारा 194ठखक की उपधारा (2क) को ध्यान में रखते हुए कोई नहीं है तो 'ड.' लिखें
- 5. धारा 194ढ़ के दूसरे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना के कारण कम कटौती या कटौती नहीं हो तो 'ड' लिखें।
- 6. धारा 194ढ़ के चौथे परंतुक के अधीन जारी अधिसूचना या धारा 194ढ़ के तीसरे परंतुक में संदर्भित व्यक्ति को किए गए भुगतान के कारण यदि कटौती कम या कटौती नहीं हो तो 'ढ' लिखें
- 7. धारा 194क की उपधारा (1घ) खंड(क) या (ख) के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'ण' लिखें।
- 8. धारा 196घ की उपधारा (1क) के परंतुक के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'एच' लिखें। धारा 10 के खंड (4घ) के अधीन जो निर्दिष्ट निधि को भुगतान की गई आय पर छूट प्राप्त है
- 9. यदि विदेशी संस्थागत निवेशक को भुगतान या देय धारा 15कघ में संदर्भित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ की प्रकृति की आय के संबंध में धारा 196घ की उपधारा (2) के मद्देनजर कोई कटौती नहीं है तो 'झ' लिखें।
- 10. यदि भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान वाले अनिवासी द्वारा आय की विवरणी दाखिल करने धारा 206कख के मद्देनजर कटौती ज्यादा दर पर है तो 'ञ' लिखें।
- 11. धारा बोर्ड की सूची इस प्रकार है:-

## 1. डिडक्टी कोड की सूची

	T	
क्रम सं.	डिडक्टी कोड	विवरण
1	01	कंपनी, घरेलू कंपनी के अलावा
2	02	व्यष्टि
3	03	हिंदू अविभक्त कुटुंब
4	04	व्यक्तियों का संगठन(एओपी) मामलों के अलावा जिसमें केवल कंपनियों के (एओपी) ही इसके सदस्य हो
5	05	व्यक्तियों का संगठन(एओपी) जिसमें केवल कंपनियों के (एओपी) ही इसके सदस्य हो
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यष्टियों का निकाय
9	09	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड ( <i>vii</i> ) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
10	10	अन्य

2. डिडक्टी के मामले में नियम 37खग द्वारा आच्छादित स्थायी खाता संख्या तथा आधारा नंबर उपलब्ध नहीं है उसका वर्णन करना आवश्यक है.

## 3. धारा कोड की सूची इस प्रकार है :

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192क	करकर्मचारी को देय संचित रकम का भुगतान	192क
<i>194</i> ख	लॉटरी व क्रॉसवर्ड पहेली से जीत	<i>94</i> ख
धारा <i>194</i> ख के परंतुक	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में करदेयता चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व हो कर चुका दिया गया हो	<i>94</i> ख <i>-</i> त
<i>194</i> खक	ऑनलाइन खेलों से जीत	<i>94</i> खक
धारा <i>194</i> खक की उपधारा (2)	ऑनलाइन खेलों से शुद्ध जीती रकम जब शुद्ध जीती रकम वस्तु या नकद के रूप में करदेयता चुकाने हेतु पर्याप्त न हो और ऐसी शुद्ध जीती रकम जारी होने से पूर्व हो कर चुका दिया गया हो	<i>94</i> खक <i>-</i> त
194खख	घुडदौड से जीत	<i>4</i> खख
194ड.	अनिवासी खिलाडी/खेल संघों को भुगतान	<i>94</i> इ.
194ठख	संरचनागत ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय	<i>4</i> ठख
<i>194</i> ठखक(क)	धारा 10(23चग(क)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक <i>1</i>
<i>194</i> ठखक(ख)	धारा <i>10(23</i> चग(ख)) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखक <i>2</i>
194ठखक(ग)	धारा 10(23चग(ग) में संदर्भित व्यावसायिक न्यास की इकाई से आय	ठखए <i>3</i>
194ठखख	निवेश निधि की इकाई के संबंध में आय प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश	ठखख
1194ठखग	प्रतिभूतिकरण न्यास में निवेश के संबंध में आय	ठखग
<i>194</i> ठग <i>(2)(i)</i> एवं <i>(कि)</i>	धारा <i>194</i> ठग की उपधारा <i>(2)</i> के खंड <i>(i)</i> तथा <i>(क)</i> के अधीन आय	<i>4</i> ठग <i>1</i>
<i>194</i> ठग <i>(2)(l</i> ख)	धारा <i>194</i> ठग की उपधारा <i>(2)</i> के खंड <i>(i)</i> तथा <i>(म</i> ख <i>)</i> के अधीन आय	<i>4</i> ठग <i>2</i>
<i>194</i> ठग <i>(2)(I</i> ग)	धारा <i>194</i> ठग की उपधारा( <i>2)</i> के खंड ( <i>i)</i> तथा (म) के अधीन आय	<i>4</i> ठग <i>3</i>
194ठघ	कतिपय बंध पत्र तथा सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय	<i>4</i> ठघ
194ढ़	नकद में कतिपय रकम का संदाय प्रथम परंतुक या तीसरे परंतुक द्वारा आच्छादित मामलों के अलावा	<i>94</i> ढ
194ढ़ प्रथम	गैर फाइलरों के नकद में कतिपय रकम का संदाय सहकारी समितियों के मामलों के अलावा	<i>4</i> ह <i>-</i> ड
परंतुक		
<i>194</i> ढ़ तीसरा परंतुक	सहकारी समितियों के प्रथम पंरतुक द्वारा अनाच्छदित निश्चित नकद रकम का संदाय	<i>4</i> ढ <i>-</i> ग

194ढ़ प्रथम परंतुक तीसरे परंतुक के साथ पठित	प्रथम परंतुक द्वारा अनाच्छदित सहकारी समितियों के निश्चित नकद रकम का संदाय	<i>4</i> ढ <i>-</i> चन
195	अनिवासी को अन्य देय रकम	195
196क	अनिवासी की इकाईयों के संबंध में आय	<i>96</i> क
196ख	अपतटीय निधि में इकाईयों के संबंध में भुगतान	<i>96</i> ख
196ग	अनिवासी को संदेय विदेशी मुद्रा बंध पत्र या भारतीय कंपनी के शेयर से आय	<i>96</i> ग
196घ(1)	उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय	<i>96</i> घ
194ঘ(1क)	धारा <i>194</i> ठघ में निर्दिष्ट ब्याज आय के से भिन्न धारा <i>115</i> ठघ की उपधारा ( <i>1)</i> के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से विनिर्दिष्ट निधि की आय	<i>96</i> घक <i>"</i>

- (ड) प्ररूप सं. 27डघ में 1 जुलाई , 2023 से प्रवृत्त, –
- (i) सारणी के क्रम सं. 4, के स्तंभ सं. 4 में " शिक्षा कर" शब्दों के स्थान पर " स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर " शब्दों को रखा जाएगा;
- (ii) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध रखा जाएगा, अर्थात्:—

" उपाबंध: स्त्रोत पर कर कटौती के दल वार आंकड़ें"

( कृपया मुख्य प्ररूप 27ड़थ के क्रम सं. 4 में प्रत्येक पंक्ति/मद के लिए पृथक उपाबंध का उपयोग करें) समाप्त तिमाही (तारीख /माह/वर्ष) के दौरान संदत्त/प्रत्यय राशि और स्त्रोत पर कर कटौती का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड /प्ररूप सं. 24 छ की रसीद संख्या	
जिस तारीख को चालान जमा/ हस्तांतरित किया गया वाउचर तारीख (दि/म/व)	
फॉर्म सं. 24छ का चालान क्रम सं. /डीडीओ क्रम सं.	
चालान के अनुसार राशि	
स्तंभ 677 के उर्ध्वाधर योग के रूप में संग्रहकर्ताओं के बीच आबंटित किया जाने वाला कुल टीसीएस	
उल्लिखित से ग्रहकर्त्ताओं के बीच आबंटित किया जाने वाला कुल ब्याज	

संग्रहकर्ता का	
नाम	
टैन	

क्रं स	संग्रहकर्ता का संदर्भ सं. संग्रहकर्ता द्वारा दिया गया यदि उपलब्ध हो	संग्रहकर्ता का कोड (टिप्पणी 10 देखें)	क्या निवासी है या अनिवासी <i>(हां,⁄सहीं)</i>	संग्रहकर्ता का पैन	क्या संग्रहकर्ता ने धारा 115 खकग(1क) के अधीन कराधान का विकल्प चुना है)?	संग्रहकर्ता का नाम	संव्यवहार की कुल रकम	प्राप्त / जमा रकम	तारीख जब रकम प्राप्त हुई/ विकलित हुई (दि/म/)	संग्रह कोड (टिप्पणी 11 देखें)	कर	अधिभार	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	कुल संग्रहित कर <i>[673+674+675]</i>
[664]	[665]	<i>[666</i> क]	<i>[666</i> ख]	<i>[667</i> क <i>]</i>	<i>[667</i> ख <i>]</i>	[668]	[669]	[670]	[671]	[672]	[673]	[67]	[675]	[676]
1														
2														
3														
कुल														

कुल जमा कर	संग्रहण की तारीख <i>(</i> दि/ मा/व)	जिस दर पर संग्रहण किया गया	गैर-संग्रहण/ निम्नतर संग्रहण या उच्चतर दर पर संग्रहण का कारण (टिप्पणी 1 से 9 देखें )	निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 206 के अधीन कर के न्यूनतम संग्रहण के लिए जारी प्रमाण पत्र की संख्या	क्या संग्रहकर्ता द्वारा संदाय उपधारा (1छ) के पांचवे परंतुक के खंड (/) या उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के अनुसार टीडीएस के लिए दायी है और क्या ऐसे संदाय के लिए टीडीएस भी कटौती कर ली गई है ?(यदि 680 में या तो "च "या "छ"का चयन किया गया है)	यदि 681क का उत्तर हां है तो चालान संख्या	केंद्रीय सरकार को टीडीएस संदाय की तारीख
[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	<i>[681</i> क]	<i>[681</i> ख	<i>[681</i> ग]

	सत्यापन
मैं	एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त प्रस्तुत विवरण सही व पूर्ण है।
स्थान	स्त्रोत कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर
तारीख	स्त्रोत पर कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम व पद

## टिप्पण :-

- 1. यदि धारा 206ग की उपधारा(9) के अधीन प्रमाण पत्र के कारण कम संग्रहण हो तो "क" लिखें
- 2. यदि धारा 206ग की उपधारा(1क) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के कारण संग्रहण हो तो 'ख' लिखें
- 3. यदि संग्रहणकर्ता द्वारा पैन/आधार प्रस्तुत न करने के कारण धारा 206गग के अधीन संग्रहण अधिक हो तो 'ग' लिखें।
- 4. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के प्रथम परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'घ' लिखें
- 5. यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के चौथे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'ड' लिखें।
- 6. यदि उपधारा(1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) अथवा खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना के कारण संग्रहण न हो तो 'च' लिखें।
- 7. यदि धारा 206 ग की उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'छ' लिखें।
- 8. यदि धारा 206ग की उपधारा (1ज) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ग) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए या उपखंड (क) या (ख) या (ग) के कारण कोई संग्रहण न हो तो 'त' लिखें।
- 9. यदि धारा 206गक को ध्यान में रखते हुए संग्रहण उच्च दर पर हो तो 'झ' लिखें।
- 10. संग्रहकर्ता कोड की सूची

क्रम सं.	पक्षकार कोड	विवरण
1	01	कंपनी,
2	02	व्यष्टि
3	03	हिंदू अविभक्त कुटुंब
4	04	व्यक्तियों का संगम(एओपी) , ऐसे ऐओपी के अलावा कंपनी इसकी सदस्य हो
5	05	व्यक्तियों का संगम(एओपी) जिसमें केवल कंपनी ही इसकी सदस्य हो
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यष्टियों का निकाय
9	09	आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड ( <i>vii</i> ) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
10	10	अन्य

## 11. निम्नवर्णनानुसार संग्रहण कोड लिखें:

धारा	संग्रहण की प्रकृति सं		संग्रहण कोड	
			1	
206ग	मानवीय उपभागे के लिए मद्यसारिक पान से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	क	
206ग	वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त काष्ट से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ख	
206ग	वन पट्टे के अलाव अन्य तरीके से अभिप्राप्त काष्ठ से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ग	
206ग	किसी अन्य वनोपज (तेंदू पत्ता नहीं) से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	घ	
206ग	स्क्रेप से स्त्रोत पर संग्रहण	6ग	ड	
206ग	पार्किंग स्थल से संबंधित ठेकेदारों या लाईसेंसधारी या पट्टे से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	च	
206ग	टोल प्लाजा से संबंधित ठेकेदारों या लाइसेंसधारी या पट्टे से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	छ	
206ग	खान या खदान से संबंधित से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ज	
206ग	तेंदू पत्ते से स्त्रोत पर संग्रह	6ग	झ	
206ग	कोयला या लिग्नाइड या लोह अयस्क जैसे खनिजों के विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	স	
206ग	बुलियन और आभूषणों के नकद विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ਟ	
206ग	मोटर गाड़ी के विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ठ	
206ग	ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज के क्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	ण	
206ग	धारा 80 ड में उल्लिखित वित्तीय संस्था से लिए गए शैक्षिक ऋण से एलआरएस के अधीन प्रेषण पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	त	
206ग	शिक्षा या चिकित्सा उपचार के उद्देश्यों को छोड़कर एल आर एस के अधीन प्रेषण पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	थ	
206ग	शिक्षा या चिकित्सा उपचार के उद्देश्यों के लिए और कोड पी के अधीन	6ग	न	
	समावेश नहीं किए गए एलआरएस के अधीन प्रेषण पर स्त्रोत पर संग्रह			
206ग	माल के विक्रय पर स्त्रोत पर संग्रह	6ग	द	

[अधिसूचना संख्या 28/.2023/फा. सं. 370142/12/2023-टीपीएल] मृणालिनी कौर सप्रा, निदेशक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ.), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 227 (अ) तारीख 28.03.2023 द्वारा किया गया।

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

#### (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2023

#### **INCOME-TAX**

- **G.S.R. 379(E).**—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 115BBJ, section 194BA, sub-section (3) of section 200 and proviso to sub-section (3) of section 206C of the Income-tax Act 1961 (hereinafter referred to as 'Act'), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2023.
- (2) Save as otherwise provided, they shall come into force from date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 31A, in sub-rule(4) with effect from 1st July 2023,—
  - (a) for clause (ix), the following clause shall be substituted namely:-
  - "(ix) furnish particulars of amount paid or credited on which tax was not deducted or deducted at lower rate in view of the notification issued under second proviso to section 194N or in view of the exemption provided in fourth proviso to section 194N or in view of the notification issued under fifth proviso to section 194N;";
  - (b) in clause (xvii), after sub-clause (a), the following sub-clause shall be inserted, namely:-
  - "(aa) winnings in terms of sub-section (2) of section 194BA;".
- 3. In the principal rules, after rule 132, the following rule shall be inserted, namely:—
- "133. (1) Net winnings from online games during the previous year, for the purposes of section 115BBJ, shall be calculated using the following formula, namely:—

Net winnings =(A+D)-(B+C), where –

- A = Aggregate amount withdrawn from the user account during the financial year;
- B = Aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the assessee during the financial year;
- C = Opening balance of the user account at the beginning of the financial year; and
- D= Closing balance of the user account at the end of the financial year.
- (2) Net winnings comprised in the first withdrawal during the financial year, for the purposes of section 194BA, shall be calculated using the following formula, namely:—

Net winnings =A-(B+C), where -

- A = Amount withdrawn from the user account;
- B = Aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the owner of such account during the financial year, till the time of such withdrawal; and
- C = Opening balance of the user account at the beginning of the financial year.
- (3) Net winnings in the formula given in sub-rule (2) shall be zero, if the sum of amounts B and C is equal to or greater than the amount A.
- (4) Net winnings comprised in each subsequent withdrawal during the financial year, for the purposes of section 194BA, shall be calculated using the following formula, namely:—

Net winnings =A-(B+C+E), where -

A = Aggregate amount withdrawn from the user account during the financial year till the time of subsequent withdrawal including the amount of such subsequent withdrawal;

- B = Aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the owner of such account during the financial year, till the time of such subsequent withdrawal;
- C = Opening balance of the user account at the beginning of the financial year; and
- E= Net winnings comprised in the earlier withdrawal or withdrawals computed under sub-rule (2), or under this sub-rule, during the financial year till the time of subsequent withdrawal if tax has been deducted in accordance with the provision of section 194BA on winnings comprised in such withdrawal or withdrawals.
- (5) Net winnings in the formula given in sub-rule (4) shall be zero, if the sum of amounts B, C and E is equal to or greater than the amount A.
- (6) Net winnings comprised in the user account at the end of the financial year, for the purposes of section 194BA, shall be calculated using the following formula, namely:—

Net winnings =(A+D)-(B+C+E), where –

- A = Aggregate amount withdrawn from the user account during the financial year;
- B = Aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the owner of such account during the financial year;
- C = Opening balance of the user account at the beginning of the financial year;
- D= Closing balance of the user account at the end of the financial year; and
- E= Net winnings comprised in the earlier withdrawal or withdrawals computed under sub-rule (2), or sub-rule (4), during the financial year if tax has been deducted in accordance with the provision of section 194BA on winnings comprised in such withdrawal or withdrawals.
- (7) Net winnings in the formula given in sub-rule (6) shall be zero, if the sum of amounts B, C and E is equal to or greater than the sum of amount A and D.

#### **Explanation 1.**— For the purposes of this rule –

- (a) "non-taxable deposit" means the amount deposited by the user in his user account and which is not taxable;
- (b) "taxable deposit" means any amount deposited in the user account which is not a non-taxable deposit and includes any amount paid directly to the user not through the user account; and
- (c) "withdrawal" means any amount withdrawn by the user from any user account.

## Explanation 2.- For the removal of doubts, it is hereby clarified that -

- (a) user account shall include every account of user, by whatever name called, which is registered with the online gaming intermediary and where any taxable deposit, non-taxable deposit or the winnings made by the user is credited and withdrawal by the user is debited;
- (b) whenever there is payment to the user in kind or in cash, or partly in kind and partly in cash, which is not from the user account, the provisions of this rule shall apply to calculate net winnings by deeming that the money equivalent to such payment has been deposited as taxable deposit in the user account and the equivalent amount has been withdrawn from the user account at the same time and shall accordingly be included in amount A;
- (c) whenever there are multiple user accounts of the same user, each user account shall be considered for the purposes of calculating net winnings and the deposit, withdrawal or balance in the user account shall mean aggregate of deposit, withdrawal or balance in all user accounts;
- (d) whenever there are multiple user accounts of the same user, transfer from one user account to another user account, maintained with the same online gaming intermediary, of the same user shall not be considered as withdrawal or deposit, as the case may be, for the purposes of deducting tax under section 194BA;
- (e) whenever there is taxable deposit in the form of bonus, referral bonus, incentives, promotional money, discount by whatever name called; and such deposit can only be used for playing the online games and not for withdrawal or any other purposes, such deposit shall be ignored for the purposes of calculation of net winnings and shall not be included in amount B or amount C or amount D; and
- (f) whenever any bonus, referral bonus, incentives, promotional money, discount, by whatever name called, is not considered as part of amount B or amount C or amount D under clause (e) and subsequently they are recharacterised and allowed to be withdrawn, they shall be deemed as taxable deposit at the time of such recharacterisation and it shall be deemed that the equivalent amount has been deposited in the user account at that time."

- 4. In the principal rules, in Appendix II,-
- (a) for Form No. 16 the following form shall be substituted with effect from 1st July 2023 and shall be applicable for the assessment year 2024-25 and subsequent assessment years, namely:—

## **"FORM NO. 16"**

[See rule 31(1)(a)]

## PART A

Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source on salary paid to an employee under section 192 or pension or interest income of specified senior citizen under section 194P.

Cer	tificate No.	L	ast updated on	1	
Name and address	of the Employer/Specified Bank	Name and address of the Employee/ Specified senior citizen			
PAN of the Deductor	TAN of the Deductor	PAN of the Employee/specified senior citizen			
CIT (TDS) Address City Pin Code		Assessment Year	Period with t	the Employer To	

Summary of amount paid/credited and tax deducted at source thereon in respect of the employee

Quarter(s)	Receipt Numbers of original quarterly statement of TDS under sub section (3) of section 200	Amount paid/credited	Amount of tax deducted (Rs.)	Amount of tax deposited/ remitted (Rs.)
Total (Rs.)		·		

# I. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH BOOK ADJUSTMENT

(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)

Sl. No.	Tax Deposited in	Book Identification Number (BIN)				
	respect of the deductee (Rs.)	Receipt numbers of Form No. 24G	DDO serial number in Form No. 24G	Date of transfer voucher dd/mm/yyyy	Status of matching with Form No. 24G	
Total (Rs. )						

# II. DETAILS OF TAX DEDUCTED AND DEPOSITED IN THE CENTRAL GOVERNMENT ACCOUNT THROUGH CHALLAN

(The deductor to provide payment wise details of tax deducted and deposited with respect to the deductee)

		the deduc	etee)			
Sl. No.	Tax Deposited in respect of the deductee (Rs. )	Challan Identification Number (CIN)				
	s	BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number	Status of matching With OLTAS	
Total ( Rs.)						
	Verification					
I,					(in words)] tify that the	
Place						
Date		(Signature o	of person responsible t	for deduction	n of tax)	
Designation:		Full Name:	Full Name:			

[PART B (Annexure-I)

## In relation to employees for tax deduction under section 192

Details of salary paid and any other income and tax deducted Whether opting out of taxation u/s 115BAC(1A)? [YES/NO] Α 1. Gross Salary Salary as per provisions contained in section 17(1) Rs. ... (a) Value of perquisites under section 17(2) (as per Form No. Rs. ... (b) 12BA, wherever applicable) Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form Rs. ... (c) No. 12BA, wherever applicable) (d) Total Rs. ... (e) Reported total amount of salary received from other Rs. ... employer(s) 2. Less: Allowances to the extent exempt under section 10 (a) Travel concession or assistance under section 10(5) Rs. ... Rs. ... (b) Death-cum-retirement gratuity under section 10(10) (c) Commuted value of pension under section 10(10A) Rs. ... Cash equivalent of leave salary encashment under section Rs. ... 10(10AA) House rent allowance under section 10(13A) (e) Rs. ... Rs ... (f) Other special allowances under section 10(14) (g) Amount of any other exemption under section 10

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 30

	1	D.	1	
	clause	Rs		
		Rs		
(h)	Total amount of any other exemption under section 10		Rs	
(i)	Total amount of exemption claimed under section 10			Rs
	[2(a)+2(b)+2(c)+2(d)+2(e)+2(f)+2(h)]			
3.	Total amount of salary received from current employer			Rs
	[1(d)-2(i)]			
4.	Less: Deductions under section 16			
(a)	Standard deduction under section 16(ia)		Rs	
(b)	Entertainment allowance under section 16(ii)		Rs	
(c)	Tax on employment under section 16(iii)		Rs	
5.	Total amount of deductions under section 16		NS	Rs
<u> </u>	[4(a)+4(b)+4(c)]			100
6.	Income chargeable under the head "Salaries" [(3+1(e)-5]			Rs
7.	Add: Any other income reported by the employee under as p	or scation	102 (2D)	100
(a)	Income (or admissible loss) from house property reported	er section .	Rs	1
(a)	by employee offered for TDS		10	
(b)	Income under the head other sources offered for TDS		Rs	
` '			NS	D -
8.	Total amount of other income reported by the employee			Rs
	[7(a)+7(b)]			
9.	Gross total income (6+8)			Rs
10.	Deductions under Chapter VI-A			
			Gross	Deductible Amount
			Amount	
(a)	Deduction in respect of life insurance premia,		Rs	Rs
	contributions to provident fund etc. under section 80C			
(b)	Deduction in respect of contribution to certain pension		Rs	Rs
	funds under section 80CCC			
(c)	Deduction in respect of contribution by taxpayer to		Rs	Rs
(•)	pension scheme under section 80CCD (1)		1131	
	pension seneme under section overeb (1)			
(d)	Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD(1)		Rs	Rs
(u)	Total deduction under section soc, socce and soccb(1)		13	IXS
(a)	D-1		D <sub>o</sub>	D <sub>o</sub>
(e)	Deductions in respect of amount paid/deposited to notified		Rs	Rs
	pension scheme under section 80CCD (1B)			
(0)				
(f)	Deduction in respect of contribution by Employer to		Rs	Rs
	pension scheme under section 80CCD (2)			
<u></u>				
(g)	Deduction in respect of health insurance premia under		Rs	Rs
	section 80D			
(h)	Deduction in respect of interest on loan taken for higher		Rs	Rs
	education under section 80E			
	Deduction in respect of contribution by the employee to			
(i)	Agnipath Scheme under section 80CCH		Rs	Rs
	Deduction in respect of contribution by the Central			
(j)	Government to Agnipath Scheme under section 80CCH		Rs	Rs

		Gross	Qualifying	Deductible Amount
		Amount	Amount	
k)	Total Deduction in respect of donations to certain funds,	Rs	Rs	Rs
к)	charitable institutions, etc. under section 80G	100	100	K5
	characte institutions, etc. under section 600			
1)	Deduction in respect of interest on deposits in savings	Rs	Rs	Rs
	account under section 80TTA			
()	A - 41 1-411 - 1 - 41 - 1 ( ) CO 4 X	7T. A		
(m)	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter V		1_	1 -
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
		Rs	Rs	Rs
(n)	Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A	Rs	Rs	Rs
11.	Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A [10(d)+10(e)+10(f)+10(g)+10(h)+10(i)+10(j)+10(k)+10(l)+10(n)]			Rs
12.	Total taxable income (9-11)			Rs
13.	Tax on total income			Rs
14.	Rebate under section 87A, if applicable			Rs
15.	Surcharge, wherever applicable			Rs
16.	Health and education cess @ 4%			Rs
17.	Tax payable (13+15+16-14)			Rs
18.	Less: Relief under section 89 (attach details)			Rs
19.	Net tax payable (17-18)		†	Rs

I,, son/daughter of	working in the capacity
of (designation) do hereby	certify that the information given above is true, complete and
correct and is based on the books of account, documents,	TDS statements, and other available records
Place	(Signature of person responsible for deduction of tax)
Date	Full Name:
	Annexure II

In relation to specified senior citizen for tax deduction under section 194P

A	Whether opting out of taxation u/s 115BAC(1A)?	[YES/N	O]
1.	Gross Salary		
(a)	Pension as per provisions contained in clause (ii) of section 17(1)	Rs	
2.	Total amount of salary received		Rs
3.	Less: Deductions under section 16		
(a)	Standard deduction under section 16(ia)	Rs	
(b)	Tax on employment under section 16(iii)	Rs	
4.	Total amount of deductions under section 16 [3(a)+3(b)]		Rs
5.	Income chargeable under the head "Salaries" [(2-4]		Rs

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 32

6.	Interest Income under the head "Other Sources" paid by the specified bank		Rs	
7.	Gross total income (5+6)			Rs
8.	Deductions under Chapter VI-A			
			Gross Amount	Deductible Amount
(a)	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C		Rs	Rs
(b)	Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC		Rs	Rs
(c)	Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme under section 80CCD(1)		Rs	Rs
(d)	Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD (1)		Rs	Rs
(e)	Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 80CCD (1B)		Rs	Rs
(f)	Deduction in respect of health insurance premia under section 80D		Rs	Rs
(g)	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E		Rs	Rs
		Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount
(h)	Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G	Rs	Rs	Rs
(i)	Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTB	Rs	Rs	Rs
(j)	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter V	T-A		I
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
	section	Rs	Rs	Rs
		Rs	Rs	Rs
(k)	Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A	Rs	Rs	Rs
9.	Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A $[8(d)+8(e)+8(f)+8(g)+8(h)+8(i)+8(k)]$			Rs
10.	Total taxable income (7-9)			Rs
11.	Tax on total income			Rs
12.	Rebate under section 87A, if applicable			Rs
13.	Surcharge, wherever applicable			Rs
14.	Health and education cess			Rs
15.	Tax payable (11+13+14-12)			Rs
16.	Less: Relief under section 89 (attach details)			Rs
17.	Net tax payable (16-17)			Rs

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 33

Verification				
I,, son/daughter ofworking in				
the capacity of	(designation) do hereby certify that the information			
given above is true, complete and co	rrect and is based on the books of account, documents, TDS			
statements, and other available records.				
Place				
Date	Full Name :			

#### **Notes:**

- 1. Government deductors to fill information in item I of Part A if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II of Part A if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
- 2. Non-Government deductors to fill information in item II of Part A.
- 3. The deductor shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TDS statements of the assessee.
- 4. If an assessee is employed under one employer only during the year, certificate in Form No. 16 issued for the quarter ending on 31st March of the financial year shall contain the details of tax deducted and deposited for all the quarters of the financial year.
- 5. (i) If an assessee is employed under more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A of the certificate in Form No. 16 pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employers.
  - (ii) Part B (Annexure-I) of the certificate in Form No.16 may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.
  - (iii) Part B (Annexure-II) of the certificate in Form 16 may be issued by the specified bank to a specified senior citizen.
- 6. In Part A, in items I and II, in the column for tax deposited in respect of deductee, furnish total amount of tax, surcharge and health and education cess.
- 7. Deductor shall duly fill details, where available, in item numbers 2(f) and 10(k) before furnishing of Part B (Annexure-I) to the employee.".

- (b) in form 24Q, with effect from 1st July, 2023,—
- (i) in serial number 4, in the table, in column No. 4, for the words "Education Cess", the words "Health and Education Cess" shall be substituted;
- (ii) in Annexure I, in the table before "Verification", in column No. 11, for the words "Education Cess", the words, "Health and Education Cess" shall be substituted;
- (iii) for "Annexure II", the following "Annexure II" shall be substituted, namely:—

	"Annexure II													
	Details of salary paid or credited during the financial yearand net tax payable (under section 192)													
Serial number.	Permanent Account Number of the employee.	Name of the employee.	Whether opting out from taxation u/s 115BAC(1A) [Yes/No]	Deductee type (Senior Citizen, Super Senior Citizen, Others).	Date from and date up to employed with current employer in the current financial year (dd/mm/yyyy).	(a) Gross Salary as per provisions contained in section 17(1).	(b) Value of perquisites under section 17(2) (as per FormNo.12BA, wherever applicable).	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No.12BA, wherever applicable).	Total amount of gross salary received from current employer (see Note 1 for definition of Salary).					
(330)	(331)	(332A)	(332B)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)					

Reported	Travel	Death-cum-	Commuted	Cash	House rent	PAN of	Other	Amount	Total amount of exemption claimed	Total
total amount	concession or	retirement	value of	equivalent of	allowance	landlord, if	special	of any	under section 10	deduction
of salary	assistance	gratuity	pension under	leave salary	under section	exemption is	allowances	other	(340+341+342+343+344+346A+346B).	under
received	under section	under	section	encashment	10(13A).	claimed	under	exemption		section
from other	10(5).	section	10(10A).	under section		under	section	under		16(ia).
employer(s)		10(10).		10(10AA).		section	10(14).	section		
(see Note 1						10(13A)		10.		
for						(see Note 3).				
definition of										
Salary).										
(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346A)	(346B)	(347)	(348)

Total	Total	Income	Income (or	PAN of	Income under	Gross total	Deductio	n in respect	Deduction	Deduction in respect		n in respect
deduction	deduction	chargeable under	admissible loss)	lender, if	the head other	income	of life ins	surance	of contri	of contribution to		bution by
under	under section	the head	from house	interest on	sources offered	(351+352+	premia, c	ontributions	certain pension funds		taxpayer to notified	
section	16(iii).	"Salaries"	property	housing loan	for TDS as per	354).	to provid	to provident fund		under section		scheme
16(ii).		[338+339-	reported by	is claimed	section 192		etc. under section		80CCC.		under section	
		(347+348+	employee	under section	(2B).		80C.				80CCD(1)	
		349+350)].	offered for TDS	24(b) (see			Gross	Deductible	Gross	Deductible	Gross	Deductible
			as per section	Note 4).			amount	amount	amount	amount	amount	amount
			192 (2B).									
(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)

Deductior respect of paid or de under noti pension so under sect 80CCD(1	amount posited ified cheme tion	Deduction of contribution of contribution employer to pension schunder section 80CCD(2).	tion by notified neme	Deduction respect of contributio the employ Agnipath Scheme un section 800	on by conder ACCH S	Deduction in espect of ontribution by the Central Government to Agnipath Icheme under ection 80CCH	of heal premia section		of interestate of taken for education	Total deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G.		Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTA.			Amount other pro VI-A.	other provision (s) of Chapter			pter +361 Rs. +363 655B 667B 2 S].		
Gross amount	Deducti ble	Gross amount	Deduc tible amount	Gross amount	Deducti ble	Gross amount	Deducti ble	Gross amount	Deducti ble	Gross amount	Deductibl e amount	Gross amount	Qualify ing	Deducti ble	Gross amount	Qualify ing	Deducti ble	Gross amount	Qualify ing	Deducti ble	
(362)	(363)	(364A)	(364B)	(365A)	amount (365B)	(366A)	amount (366B)	(367A)	amount (367B)	(368)	(369)	(370)	(371)	amount (372)	(373)	amount (374)	amount (375)	(376)	amount (377)	amount (378)	(379)
						1															

Total taxable income (355-379).	Income-tax on total income.	Rebate under section 87A, if applicable.	Surcharge, wherever applicable.	Health and education cess.	Income-tax relief under section 89, when salary, etc. is paid in arrear or advance.	Net tax liability [381+383+384-(382+385)].	Total amount of tax deducted at source by the current employer for the whole year [aggregate of the amount in columns 325 of Annexure I for all the quarters in respect of each employee].	Reported amount of tax deducted at source by other employer(s) or deductor(s) (income in respect of which included in computing total taxable income in column 339).	Total amount of tax deducted at source for the whole year (387+388).	Shortfall in tax deduction (+) or excess tax deduction (-) (386-389).
(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)

#### **Notes:**

- 1. Salary includes wages, annuity, pension, gratuity (other than exempted under section 10(10), fees, commission, bonus, repayment of amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), perquisites, profits in lieu of or in addition to any salary or wages including payments made at or in connection with termination of employment, advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed (other than exempted under section 10 (10AA), any annual accretion to the balance of the account in a recognised provident fund chargeable to tax in accordance with rule 6 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any sums deemed to be income received by the employee in accordance with sub-rule (4) of rule 11 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any contribution made by the Central Government to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80CCD or any other sums chargeable to income-tax under the head 'Salaries'.
- 2. Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the statement.
- 3. Permanent account number of landlord shall be mandatorily furnished where the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees.
- 4. Permanent account number of lender shall be mandatorily furnished where the housing loan, on which interest is paid, is taken from a person other than a Financial Institution or the Employer.";

- (iv) in Annexure III, in the fifth column of the first table, for the words "Whether opting for taxation u/s 115BAC [Yes/No]", the words "Whether opting out of taxation u/s 115BAC(1A) [Yes/No]" shall be substituted;
- (c) in form 26Q, with effect from 1st July, 2023,—
- (i) for the brackets, words, figures and letters "[See sections 192A, 193, 194, 194B, 194B, 194C, 194D, 194DA, 194E, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 194P, 194Q, 194R, 194S, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]", the following brackets, words, figures and letters, shall be substituted, namely:—
- "[See sections 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BA, 194BB, 194C, 194D, 194DA, 194EE, 194F, 194G, 194H, 194-I, 194J, 194K, 194LA, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194N, 194-O, 194P, 194Q, 194R, 194S, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A]";
- (ii) for the "Annexure", the following "Annexure" shall be substituted, namely:—

### "ANNEXURE: DEDUCTEE/PAYEE WISE BREAK UP OF TDS

### (Please use separate Annexure for each line-item in Table at Sl. No. 4 of main Form 26Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended... (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number / DDO Serial No. of Form No. 24G	
Amount as per Challan	
Total tax to be allocated among deductees/payees as in the vertical total of Col. 421	
Total interest to be allocated among the deductees/payees mentioned below	

Name of the Deductor/Payer	
TAN	

SI. No.	Deductee /payee reference number provided by the deductor/ payer, if available	Deductee/ payee code (01- Company 02- Other than company)	deductee / payee	Name of the deduct ee/ payee	Section code (See Note 16)	(dd/mm/ yyyy)	Amount paid or credite d	Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 1 crore as referred to in section 194N (in cases not covered by the first proviso or third proviso to section 194N)	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs.  20 lakh but does not exceed Rs 1 crore for cases covered by sub-clause (ii) of first proviso to section 194N (except cooperative societies)	194N (except co- operative societies)	in excess of Rs. 3 crore in case of co- operative societies as covered by third proviso to section 194N (in cases not covered by the first proviso to section 194N)	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs.  20 lakh but does not exceed Rs 3 crore for cases covered by sub-clause (i) of first proviso read with third proviso to section 194N (in case of co-operative societies)	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs 3 crore for cases covered by sub- clause (i) of first proviso read with third proviso to section 194N (in case of cooperative societies)	Total tax deduct ed	Total tax deposited	Date of deduction (dd/mm/ yyyy)	Rate at which deducted	Reason for non- deduction / lower deduction/ Higher Deduction/ Threshold/ Transporter etc. (See notes 1 to 15)	Number of the certificate under section 197 issued by the Assessing Officer for non- deduction / lower deduction
[412]	[413]	[414]	[415]	[416]	[417]	[418]	[419]	[419A]	[419B]	[419C]	[419D]	[419E]	[419F]	[420]	[421]	[422]	[423]	[424]	[425]
1																			
2																			
3																			
Total																			

If section	If section code 94B-P is selected, then provide			If section	If section code 94R-P is selected, then provide				If section code 94S-P is selected, then provide				If section code 94BA-P is selected, then provide			
Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number	Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number	Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number	Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number	
[426A]	[426B]	[426C]	[426D]	[427A]	[427B]	[427C]	[427D]	[428A]	[428B]	[428C]	[428D]	[429A]	[429B]	[429C]	[429D]	

#### Verification

[,, here	eby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.
Place:	
	Signature of the person responsible for deducting tax at source
Date:	
	Name and designation of the person responsible for deducting tax at source
	Notes:

- 1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
- 2. Write "B" if no deduction is on account of declaration under section 197A other than the cases mentioned in sub-section (1F) of section 197A.
- 3. Write "C" if deduction is on higher rate under section 206AA on account of non-furnishing of PAN.
- 4. Write "D" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person or class of person on account of notification issued under sub-section (5) of section 194A.
- 5. Write "E" if no deduction is on account of payment being made to a person referred to in Board Circular No. 3 of 2002 dated 28<sup>th</sup> June 2002 or Board Circular No. 11 of 2002 dated 22<sup>nd</sup> November 2002 or Board Circular No. 18/2017 dated 29<sup>th</sup> May 2017
- 6. Write "Y" if no deduction is on account of payment below threshold limit specified in the Income-tax Act, 1961.
- 7. Write "T" if no deduction is on account of deductee/payee being transporter. PAN of deductee/payee is mandatory [section 194C(6)].
- 8. Write "Z" if no deduction or lower deduction is on account of payment being notified under section 197A(1F).
- 9. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.
- 10. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the fourth proviso to section 194 N or on account of notification issued under fifth proviso to section 194N.
- 11. Write "O" if no deduction is as per the provisions of sub-section (2A) of section 194LBA.
- Write "P" if no deduction is on account of payment of dividend made to a business trust referred to in clause (d) of second proviso to section 194 or in view of any notification issued under clause (e) of the second proviso to section 194.
- 13. Write "Q" if no deduction in view of payment made to an entity referred to in clause (x) of sub-section (3) of section 194A.
- 14. Write "S" if no deduction is in view of the provisions of sub-section (5) of section 194Q.
- 15. Write "U" if the deduction is on higher rate in view of section 206AB for non-filing of return of income.
- 16. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
193	Interest on securities	193
194	Dividend	194
194A	Interest other than interest on securities	94A
194B	Winnings from lottery or crossword puzzle, etc	94B
Proviso to section 194B	Winnings from lottery or crossword puzzle, etc where consideration is made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such winnings are released	94B-P
194BA	Winnings from online games	94BA
Sub-section (2) of section 194BA	Net Winnings from online games where the net winnings are made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such net winnings are released	94BA-P
194BB	Winnings from horse race	4BB
194C	Payment of contractors and sub-contractors	94C
194D	Insurance Commission	94D
194DA	Payment in respect of life insurance policy	4DA
194EE	Payments in respect of deposits under National Savings Schemes	4EE
194F	Payments on account of repurchase of Units by Mutual Funds or UTIs	94F
194G	Commission, prize etc., on sale of lottery tickets	94G
194H	Commission or Brokerage	94H
194-I(a)	Rent	4-IA
194-I (b)	Rent	4-IB
194J(a)	Fees for Technical Services (not being professional service), royalty for sale, distribution or exhibition of cinematographic films and call center (@2%)	94J-A
194J(b)	Fee for professional service or royalty etc (@10%)	94J-B
194K	Income in respect of units	94K
194LA	Payment of Compensation on acquisition of certain immovable property	4LA
194LBA(a)	Certain income in the form of interest from units of a business trust to a resident unit holder	4BA1
194LBA(b)	Certain income in the form of dividend from units of a business trust to a resident unit holder	4BA2
194LB	Income in respect of units of investment fund	LBB

194LBC	Income in respect of investment in securitization trust	LBC
194N	Payment of certain amounts in cash other than cases covered by first proviso or third proviso	94N
194N First Proviso	Payment of certain amounts in cash to non-filers except in case of co-operative societies	94N-F
194N Third Proviso	Payment of certain amounts in cash to co-operative societies not covered by first proviso	94N-C
194N First Proviso read with Third Proviso	Payment of certain amount in cash to non-filers being co-operative societies	94N-FT
194-O	Payment of certain sums by e-commerce operator to e-commerce participant	940
194Q	Payment of certain sums for purchase of goods	94Q
194R	Benefits or perquisites of business or profession	94R
First Proviso to sub- section (1) of section 194R	Benefits or perquisites of business or profession where such benefit is provided in kind or where part in cash is not sufficient to meet tax liability and tax required to be deducted is paid before such benefit is released	94R-P
194S	Payment of consideration for transfer of virtual digital asset by persons other than specified persons	94S
Proviso to sub-section (1) of section 194S	Payment for transfer of virtual digital asset where payment is in kind or in exchange of another virtual digital asset and tax required to be deducted is paid before such payment is released	94S-P";

- (d) in Form 27Q, with effect from 1st July, 2023, -
- (i) for the brackets, words, figures and letters "[See section 194E, 194LB, 194LBA, 194LBA, 194LBC, 194LC, 194N, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A", the following brackets, words, figures and letters shall be substituted, namely: –
- "See section 194B, 194BA, 194BB, 194E, 194LB, 194LBA, 194LBB, 194LBC, 194LC, 194N, 195, 196A, 196B, 196C, 196D, 197A, 206AA, 206AB and rule 31A"
- (ii) in serial number 4, in the table, in column No. 4, for the words "Education Cess", the words, "Health and Education Cess" shall be substituted;
- (iii) for "Annexure", the following "Annexure" shall be substituted, namely:—

# "ANNEXURE: DEDUCTEE WISE BREAK UP OF TDS

# (Please use separate Annexure for each line item in Table at Sl. No. 04 of main Form 27Q)

Details of amount paid/credited during the quarter ended (dd/mm/yyyy) and of tax deducted at source

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	Name of the Deductor/ Payer	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	TAN	
Challan Serial Number/DDO Serial No. of Form No. 24G		
Amount as per Challan		
Total TDS to be allocated among deductees as in the vertical total of Col. 726		
Total interest to be allocated among the deductees mentioned below		

Sl. No	Deductee reference number provided by the deductor, if available	Deductee code (See Note 11)	Permanent Account Number or Aadhaar Number of the deductee [see note 12]	Name of the deductee	Section code (see Note 13)	Whether deductee opting out of taxation regime u/s 115BAC (1A)? (Y/N)	Date of payment or credit (dd/mm/yyyy)	Amount of cash withdrawal in excess of Rs 1 crores as referred to in section 194N (in cases not covered by the first proviso or third proviso to section 194N)	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 20 lakhs but does not exceed Rs. 1 crore for cases covered by sub-clause (a) of clause (ii) of first proviso to section 194N (except cooperative societies)	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs 1 crores for cases covered by sub-clause (b) of clause (ii) of first proviso to Section 194N (except cooperative societies)	Amount of cash withdrawal in excess of Rs. 3 crore in case of co-operative societies as covered by third proviso to section 194N (in cases not covered by the first proviso to section 194N)	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs. 20 lakh but does not exceed Rs 3 crore for cases covered by sub-clause (a) of clause (ii) of first proviso read with third proviso to section 194N (in case of co-operative societies)	Amount of cash withdrawal which is in excess of Rs 3 crore for cases covered by sub-clause (ij) of first proviso read with third proviso to section 194N (in case of co-operative societies)	Amount paid or credited	Ταχ	Surcharge	Health and Education Cess	Total tax deducted [722+ 723 + 724]	Total tax deposited
[714]	[715]	[716]	[717]	[718]	[719A]	[719B]	[720]	[720A]	[720B]	[720C]	[720D]	[720E]	[720F]	[721]	[722]	[723]	[724]	[725]	[726]
1																			
2																			
3																			
Total																			

Date of deduction (dd/mm/yyyy)	Rate at which deducted	Reason for non- deduction/ lower deduction/ grossing up/ Higher Deduction (See notes 1 to 10)	Number of the certificate issued by the Assessing Officer for non- deduction/ lower  Deduction	Whether the rate of TDS is as per IT Act (a) DTAA (b)	Nature of Remittance	Unique Acknowledgement of the corresponding Form No. 15CA, if available	Country to which remittance is made	Email ID of deductee	Contact number of deductee	Address of deductee in country of residence	Tax Identification Number/ Unique identification number of deductee
[727]	[728]	[729]	[730]	[731]	[732]	[733]	[734]	[735]	[736]	[737]	[738]

If section o	code 94B-P	is selected, the	en provide	If section code 94BA-P is selected, then provide						
Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number	Amount of tax deposited	BSR Code of bank	Date of payment	Challan serial number			
[739]	[740]	[741]	[742]	[743]	[744]	[745]	[746]			

T 7	• 🗥	, •	
1/0	141 11/	ntin	10
V P.	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	atio	<i>II</i> ( )
, .	,		

Ι,	, hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.					
		······································				
		······································				
Place:		Signature of the person responsible for deducting tax at source				
Date:						
		Name and designation of the person responsible for deducting tax at source				

### Notes:

- 1. Write "A" if "lower deduction" or "no deduction" is on account of a certificate under section 197.
- 2. Write "C" if grossing up has been done.
- 3. Write "D" if deduction is on higher rate under section 206AA on account of non-furnishing of Permanent Account Number or Aadhaar Number or non-linking of PAN with Aadhaar.
- 4. Write "E" if no deduction is in view of sub-section (2A) of section 194LBA.
- 5. Write "M" if no deduction or lower deduction is on account of notification issued under second proviso to section 194N.
- 6. Write "N" if no deduction or lower deduction is on account of payment made to a person referred to in the fourth proviso to section 194N or on account of notification issued under the fifth proviso to section 194N.
- 7. Write "O" if no deduction is in view of clause (a) or (b) of sub-section (1D) of section 197A.
- 8. Write "H" if no deduction is in view of proviso to sub-section (1A) of section 196D in respect of an income paid to a specified fund which is exempt under clause (4D) of section 10.
- 9. Write "I" if no deduction is in view of sub-section (2) of section 196D in respect of income of the nature of capital gains on transfer of securities referred to in section 115AD paid or payable to a Foreign Institutional Investor.
- 10. Write "J" if deduction is at higher rate in view of section 206AB for non-filing of return of income by the non-resident having a permanent establishment in India.

# 11. List of deductee codes

Sr No.	Deductee Code	Description
1	01	Company, other than domestic company
2	02	Individual
3	03	Hindu Undivided Family
4	04	Association of Persons (AOP) except in case of AOP consisting of only companies as its members
5	05	Association of Persons (AOP) consisting of only companies as its members
6	06	Co-operative Society
7	07	Firm
8	08	Body of individuals
9	09	Artificial juridical person referred to in sub-clause (vii) of clause (31) of section 2 of the Income-tax Act 1961
10	10	Others

- 12. In case of deductees covered under rule 37BC, Permanent Account Number or Aadhaar Number NOT AVAILABLE should be mentioned.
- 13. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
192A	Payment of accumulated balance due to an employee	192A
194B	Winnings from lottery or crossword puzzle, etc	94B
Proviso to section 194B	Winnings from lottery or crossword puzzle, etc where consideration is made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such winnings are released	94B-P
194BA	Winnings from online games	94BA
Sub-section (2) of section 194BA	Net Winnings from online games where the net winnings are made in kind or cash is not sufficient to meet the tax liability and tax has been paid before such net winnings are released	94BA-P
194BB	Winnings from horse race	4BB
194E	Payments to non-resident Sportsmen/Sport Associations	94E

194LB	Income by way of interest from infrastructure debt fund	4LB
194LBA(a)	income referred to in section 10(23FC)(a) from units of a business trust.	LBA1
194LBA(b)	Income referred to in section 10(23FC)(b) from units of a business trust	LBA2
194LBA(c)	Income referred to in section 10(23FCA) from units of a business trust	LBA3
194LBB	Income in respect of units of investment fund	LBB
194LBC	Income in respect of investment in securitisation trust	LBC
194LC (2)(i) and (ia)	Income under clause (i) and (ia) of sub-section (2) of section 194LC	4LC1
194LC (2)(ib)	Income under clause (ib) of sub-section (2) of section 194LC	4LC2
194LC (2)(ic)	Income under clause (ic) of sub-section (2) of section 194LC	4LC3
194LD	Income by way of interest on certain bonds and Government securities.	4LD
194N	Payment of certain amounts in cash other than cases covered by first proviso or third proviso	94N
194N First Proviso	Payment of certain amount in cash to non-filers except in case of co-operative societies	4N-F
194N Third Proviso	Payment of certain amounts in cash to co-operative societies not covered by first proviso	4N-C
194N First Proviso read with Third Proviso	Payment of certain amount in cash to non-filers being co-operative societies	4N-FT
195	Other sums payable to a non-resident	195
196A	Income in respect of units of Non-Residents	96A
196B	Payments in respect of Units to an Offshore Fund	96B
196C	Income from Foreign Currency Bonds or shares of Indian Company payable to Non-Resident	96C
196D(1)	Income of foreign institutional investors from securities under sub-section (1)	96D
196D(1A)	Income of specified fund from securities referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 115AD (other than interest income referred to in section 194LD)	96DA"

<sup>(</sup>e) in Form 27EQ, with effect from 1st July, 2023, –

<sup>(</sup>i) in serial number 4, in the table, in column No. 4, for the words "Education Cess", the words, "Health and Education Cess" shall be substituted;

<sup>(</sup>ii) for "Annexure" the following "Annexure" shall be substituted, namely:—

# "ANNEXURE -: PARTY WISE BREAK UP OF TCS

# (Please use separate Annexure for each-line item in Table at Sl. No. 04 of main Form 27EQ)

# Details of amount received/debited during the quarter ended (dd/mm/yyyy) and of tax collected at source

BSR Code of branch/Receipt Number of Form No. 24G	
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)	
Challan Serial Number/DDO Serial No. of Form No. 24G	
Amount as per Challan	
Total TCS to be allocated among collectees as in the vertical total of Col. 677	
Total interest to be allocated among the collectees mentioned below	

Name of the Collector	
TAN	

SI. No.	Collec tee refere nce numbe r provid ed by the collect or, if availa ble	Collec tee code (see Note 10)	Whet her reside nt or non- reside nt (Y/N)	PAN of the Collectee	Whether collectee opting out of taxation regime u/s 115BAC(1A)?	Name of Collec tee	Total value of the transact ion	Amount received / debited	Date on which amou nt receiv ed/ debite d (dd/ mm/ yyyy)	Collect ion Code (See Note II)	Tax	Surcharge	Healt h and Educ ation Cess	Total tax collected [673+674+675]
[66 4]	[665]	[666A]	[666B]	[667A]	[667B]	[668]	[669]	[670]	[671]	[672]	[673]	[674]	[675]	[676]
1														
2														
3														
Total														

Total tax deposited	Date of collection (dd/ mm/ yyyy)	Rate at which collected	Reason for non- collection/ lower	Number of the certificate u/s 206C issued by the	Whether the payment by collectee is liable to TDS as per clause (i) of the	If, answer to [681A] is yes, then		
	(de nin jyjy)	Concence	collection/ or collection at higher rate (See Note 1 to 9)	Assessing Officer for lower collection of tax	fifth proviso to sub-section (1G) or second proviso to sub-section (1H) and whether TDS has been deducted from such payment (if either "F" or "G" is selected in 680)	Challan number	Date of payment of TDS to Central Government	
[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	[681A]	[681B	[681C]	

## Verification

Ι,	, nereby certify that c	ill the particulars furnished above are correct and complete.	
Place:		Signature of the person responsible for collecting tax at source	
Date:		Name and designation of the person responsible for collecting tax at source	

## Notes:

- 1. Write "A" if "lower collection" is on account of a certificate under sub-section (9) of section 206C.
- 2. Write "B" if "non-collection" is on account of furnishing of declaration under sub-section (1A) of section 206C.
- $3. \ \ \textit{Write "C" if collection is at higher rate under section 206CC \ on account of non-furnishing of PAN/Aadhaar by the collectee}$
- 4. Write "D" if no collection is on account of the first proviso to sub-section (1G) of section 206C.
- 5. Write "E" if no collection is on account of the fourth proviso to sub-section (1G) of section 206C.
- 6. Write "F" if no collection is on account clause (i) or clause (ii) of the fifth proviso to sub-section (1G) or in view of notification issued under the clause (ii).
- 7. Write "G" if no collection is on account of the second proviso to sub-section (IH) of section 206C.
- 8 Write "H" if no collection is on account of sub-clause (A) or sub-clause (B) or sub-clause (C), or in view of notification issued under sub-clause (C), of clause (a) of the Explanation to sub-section (1H) of section 206C.
- 9. Write "I" if collection is at a higher rate in view of section 206CCA.
- 10. List of Collectee Codes

Sl No.	Party Code	Description	
1	01	Company	
2	02	Individual	
3	03	Hindu Undivided Family	
4	04	Association of Persons (AOP) except in case of AOP consisting of only companies as its members	
5	05	Association of Persons (AOP) consisting of only companies as its members	
6	06	Co-operative Society	
7	07	Firm	
8	08	Body of individuals	
9	09	Artificial juridical person referred to in sub-clause (vii) of clause (31) of section 2 of the Income-tax Act 1961	
10	10	Others	

#### 11. Write collection code as mentioned below:

Section	Nature of collection	Collection Code	
206C	Collection at source from alcoholic liquor for human consumption	6C	A
206C	Collection at source from timber obtained under forest lease	6C	В
206C	Collection at source from timber obtained by any mode other than a forest lease	6C	C
206C	Collection at source from any other forest produce (not being tendu leaves)	6C	D
206C	Collection at source from scrap	6C	E
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to parking lots	6C	F
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to toll plaza	6C	G
206C	Collection at source from contractors or licensee or lease relating to mine or quarry	6C	Н
206C	Collection at source from tendu leaves	6C	I
206C	Collection at source on sale of minerals, being coal or lignite or iron ore	6C	J
206C	Collection at source on cash sale of bullion and jewellery	6C	K
206C	Collection at source on sale of motor vehicle	6C	L
206C	Collection at source for purchase of overseas tour program package	6C	0
206C	Collection at source on remittance under LRS from educational loan taken from financial institution mentioned in section 80E	6C	P
206C	Collection at source on remittance under LRS except for the purposes of education or medical treatment	6C	Q
206C	Collection at source on remittance under LRS is for the purposes of education or medical treatment and not covered under Code P	6C	T
206C	Collection at source on sale of goods	6C	R".

[Notification No. 28/2023 / F.No. 370142/12/2023-TPL] MRINALINI KAUR SAPRA, Director

Note. – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 227(E) dated 28.3.2023.